4.13 निरीक्षण और प्रमाणन केंद्रों की स्थापना

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एक–एक अर्थात कुल 10 माडल आटोमेडिट निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र पायलट आधार पर संस्वीकृत किए हैं । इस स्कीम के अंतर्गत भूमि संबंधित राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है । इस प्रकार के एक केंद्र को स्थापित करने की कुल लागत लगभग 1440 लाख रू. होती है । निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र नासिक, महाराष्ट्र अक्तूबर, 2015 से प्रचालनरत है। निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र, रेलमगरा (राजस्थान), छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश), नीलमगरा (कर्नाटक), दिल्ली और रोहतक(हरियाणा) के शीघ्र ही प्रचालनरत होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश सरकार भूमि उपलब्ध नहीं करा सकी, इसलिए वहां परियोजना आरंभ नहीं हो पायी। शेष तीन केंद्र छह माह में प्रचालनरत हो जाएंगे।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय ने देश में ऐसे 10 और केंद्र संस्वीकृत करने का निर्णय लिया है । मंत्रालय ने ओडिशा, केरल,पंजाब, सिक्किम, छत्तीसगढ और पश्चिम बंगाल प्रत्येक राज्य में एक–एक निरीक्षण और प्रमाण केंद्र खोलने के लिए कुल छह केंद्रों को स्वीकृति दी है। इन केंद्रों का सिविल निर्माण जल्द ही आरंभ हो जाएगा।

4.14 ड्राइविंग और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर)

ड्राइविंग और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर) स्थापित करने की स्कीम योजना आयोग की सहमति से कार्यान्वित की जा रही है । आईडीटीआर स्थापित करने की स्कीम का उद्देश्य निम्नलिखित है:–

(क) सभी राज्यों में माडल ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाना ।

(ख) प्रशिक्षुओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना ।

(ग) भारी मोटर वाहनों की ड्राइविंग में इंडक्शन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना ।

(घ) हल्के मोटर वाहनों की ड्राइविंग में इंडक्शन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना ।

(ङ) सेवारत ड्राइवरों के लिए पुनश्चर्या और ओरिएंटेशन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना ।

(च) औचक आवधिक मूल्यांकन सहित खतरनाक सामान की ढुलाई करने वाले ड्राइवरों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना ।

(छ) ड्राइवरों में अपेक्षित व्यवहार और मनोवृत्तिगत परिवर्तन संबंधी अनुसंधान करना ।

(ज) विद्यालयी छात्रों और अन्य संवेदनशील ग्रुपों के लिए सड़क सुरक्षा अभियान आयोजित करना ।

(झ) आबंटित क्षेत्रों में आवधिक लेखा परीक्षा करना और आरडीटीसी को मान्यता प्रदान करना ।

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 13 माडल ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल संस्वीकृत किए गए थे और ये सभी तैयार हो चुके हैं और कार्यरत्त हैं । 11वीं योजना के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सरकाघाट (हिमाचल प्रदेश), छिंदवाडा (मध्य प्रदेश), राजसमंद (राजस्थान), पुणे (महाराष्ट्र), भिवानी

यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क तीन रंग वाली बत्ती सिगनल से प्रचालित है क्योंकि चालक कुछ सड़कों पर इस प्रकार की व्यवस्था का अनुमान नहीं लगा पाते।

This sign on road indicates that this road is regulated by three-colour light signals, as driver may not expect such section of some roads.

(हरियाणा), औरंगाबाद (बिहार), अगरतला (त्रिपुरा) और उत्तर प्रदेश (रायबरेली) में आईडीटीआर स्थापित करने की संस्वीकृति प्रदान की है । तीन आईडीटीआर अर्थात छिंदवाडा, पुणे और राजसमंद के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और ये कार्यरत्त हैं । शेष आईडीटीआर का सिविल निर्माण कार्य प्रगति पर है और अगले वर्ष के दौरान इनके पूरा हो जाने की संभावना है ।

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंत्रालय ने देश में 10 और आईडीटीआर तथा 25 क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित करने का निर्णय लिया है । मंत्रालय में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य में एक–एक आईडीटीआर स्थापित करने के लिए दो केंद्रों की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में आईडीटीआर स्थापित करने के लिए भी "सैद्धान्तिक रूप में" मंजूरी दी गई है।

4.15 राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम

इस स्कीम में दुर्घटना के पश्चात सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समीप के चिकित्सा सहायता केंद्र तक ले जाने और दुर्घटना स्थल को निर्बाध करने के लिए राहत और बचाव उपाय करने हेतु राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों/ गैर–सरकारी संगठनों को क्रेन और एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की व्यवस्था है । अब तक इस स्कीम के अंतर्गत 10 टन की 347 क्रेनें और 106 लघु/ मध्यम आकार की क्रेनें उपलब्ध कराई जा चुकी है । इस स्कीम के अंतर्गत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों/ गैर–सरकारी संगठनों को 509 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जा चुकी है ।

इसके अलावा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 140 अभिनिर्धारित राज्य सरकारी अस्पतालों में ट्रोमा केयर सुविधाओं का उन्नयन करके राष्ट्रीय राजमार्गों के स्वर्णिम चतुर्भुज, उत्तर–दक्षिण और पूर्व–पश्चिम महामार्गों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 'ट्रामा केंद्र के एक एकीकृत नेटवर्क की स्थापना' नामक स्कीम के अंतर्गत उन्नत अभिज्ञात 140 अस्पतालों को 140 उन्नत जीवन सहायता एम्बुलेंसें भी उपलब्ध कराई जा चुकी हैं ।

यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां सड़क पर पशुओं के भटकते हुए घूमने की बहुत संभावनाएं हैं। सड़क पर पशुओं के घूमने से बड़ी दुर्घनाएं हो सकती है क्योंकि यातायात में जानवर के भड़कने का खतरा रहता है। इसलिए, जहां कहीं यह चिन्ह देखें, सावधानी से गाड़ी चलाएं।

This sign indicate that there is great possibility of cattle straying on the road. Cattle on road can cause major crashes as animal reacts unpredictably in traffic. So drive carefully wherever you see this sign.

4.16 सड़क सुरक्षा संबंधी प्रचार उपाय और जागरूकता अभियान

आम जनता में सड़क सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार टी.वी. स्पाट/रेडियो जिंगल प्रसारित करके, सिनेमा स्लाइड प्रदर्शित करके, होर्डिंग लगाकर, सड़क सुरक्षा सप्ताह, सेमिनार आयोजित करके, प्रदर्शनी लगाकर, सड़क सुरक्षा के संबंध में अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता आयोजित करके, हैंडबिल/स्टीकर, पोस्टर आदि मुद्रित कराके, जिनमें पैदल पथ यात्री, साइकल सवार, विद्यालयी छात्र, भारी वाहन, ड्राइवर आदि जैसे विभिन्न सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सड़क सुरक्षा संदेश होते हैं, सड़क रेलिंग पर सड़क सुरक्षा थीम पेंट कराकर, सड़क सुरक्षा खेल, सड़क सुरक्षा संदेश वाले कलेंडर छपवाकर सड़क सुरक्षा का कार्य करता है । प्रचार अभियान डीएवीपी, दूरदर्शन, आकाशवाणी और समाचार पत्रों के माध्यम से चलाया जाता है । सड़क सुरक्षा को एक सामाजिक आंदोलन बनाना मंत्रालय का एक प्रयास है ।

4.17 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप भी करता है:–

i) नई दिल्ली में इंडिया गेट पर दिनांक 11 जनवरी, 2016 को एक प्रतीकात्मक सड़क सुरक्षा वॉक का आयोजन किया गया। इस वॉक का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को सड़क सुरक्षा और इससे संबंद्ध पहलुओं के प्रति सचेत और जागरूक करना था।

ii) देश भर में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएपी), दूरदर्शन और ऑल इण्डिया रेडियो तथा सभी क्षेत्रीय स्टेशनों, 35 प्राइवेट टीवी चैनलों, प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशनों और देश के प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर विशेष बल देते हुए इलेक्ट्रोनिक/प्रिंट मीडिया में प्रचार के द्वारा व्यापक जन–जागरूकता अभियान चलाया गया। सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता को बढ़ाने के लिए हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के पोस्टरों में सड़क सुरक्षा संदेश देश भर में बांटे गये।

iii) सड़क दुर्घटना पीड़ितों के जीवन को बचाने हेतु गुड समेरिटन द्वारा की गई कार्यवाही पर उन्हें होने वाली परेशानी से बचाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अस्पतालों, पुलिस और अन्य सभी प्राधिकरणों के लिए गुडस समेरिटन के बचाव हेतु 12 मई 2015 को अधिसूचना के तहत मार्ग निर्देश जारी किये है। अब लोगों को समीपवर्ती अस्पताल में पीड़ित को पहुंचाने में सहायता देने से हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं होगी।

iv) कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII में सड़क सुरक्षा क्रियाकलापों को भी शामिल किया गया है। अब कम्पनियॉ सीएसआईआर के अंतर्गत सड़क सुरक्षा संबंधी क्रियाकलापों को भी आरंभ कर सकेंगी।

v) भारतीय सड़कों पर बड़ी संख्या में दुर्घटनाओं और मौतों को देखते हुए अवसंरचना समिति ने मंत्रालय को सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन निदेशालय का सृजन करने हेतु विचार करने का निदेश दिया है। लोक सभा में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन बोर्ड का सृजन करने के लिए 4.05.2010 को एक विधेयक पेश किया गया था जिसे जॉच के लिए विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया था। तथापि, 15वीं लोक सभा के भंग हो जाने पर यह विधेयक निरस्त हो गया। अब मंत्रालय ने नये सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक का प्रारूप तैयार किया है।

कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी के साथ जोड़ी जाती हैं। चूँकि नदी सड़क को विभाजित करती है इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है।

Some times roads are intersected by the river without the provision of bridge. These roads are connected through ferry service. This sign indicates that there is a ferry service available to cross the river.

संड़क सुरक्षा पर नुक्कड़ नाटक

सड़क सुरक्षा फोर्म – 2016

तीव्र जलवायु में भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्तों पर पत्थर/चट्टानें गिरती रहती हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर पत्थर/चटट्ानें गिरने का खतरा है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए।

In hilly roads the rocks fall on road during landslides in extreme climates. This sign shows that the road ahead is prone to such falling of rocks and driver should drive carefully to avoid crash.

vi) इलेक्ट्रिक बसों से संबंधित सीआईआरटी पायलट प्रोजेक्ट– माननीय मंत्री महोदय ने रिट्रो–फिटमेंट समाधान के रूप में डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित करने के लिए सीआईआरटी पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एसआरटीयू की 10 बसों और माननीय सांसदों के प्रयोग हेतु दो मिनी बसों को परिवर्तित करने की स्वीकृति दी है। सीआईआरटी को 12 बसों के लिए कार्यादेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय के प्रयोग के लिए 1 बस और आईएएचई के प्रयोग के लिए 1 अन्य बस लेने पर विचार किया जा रहा है।

सड़क सुरक्षा पदयात्रा

सड़क सुरक्षा पदयात्रा

यह चिन्ह आगाह करता है कि आगे के रास्ते पर गहराई है। यह चिन्ह ड्राइवर को सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की गति धीमी रखने में सहायक होता है।

This sign cautions that there is a dip on road ahead. This sign helps driver to reduce the speed to cross the plunge on road.

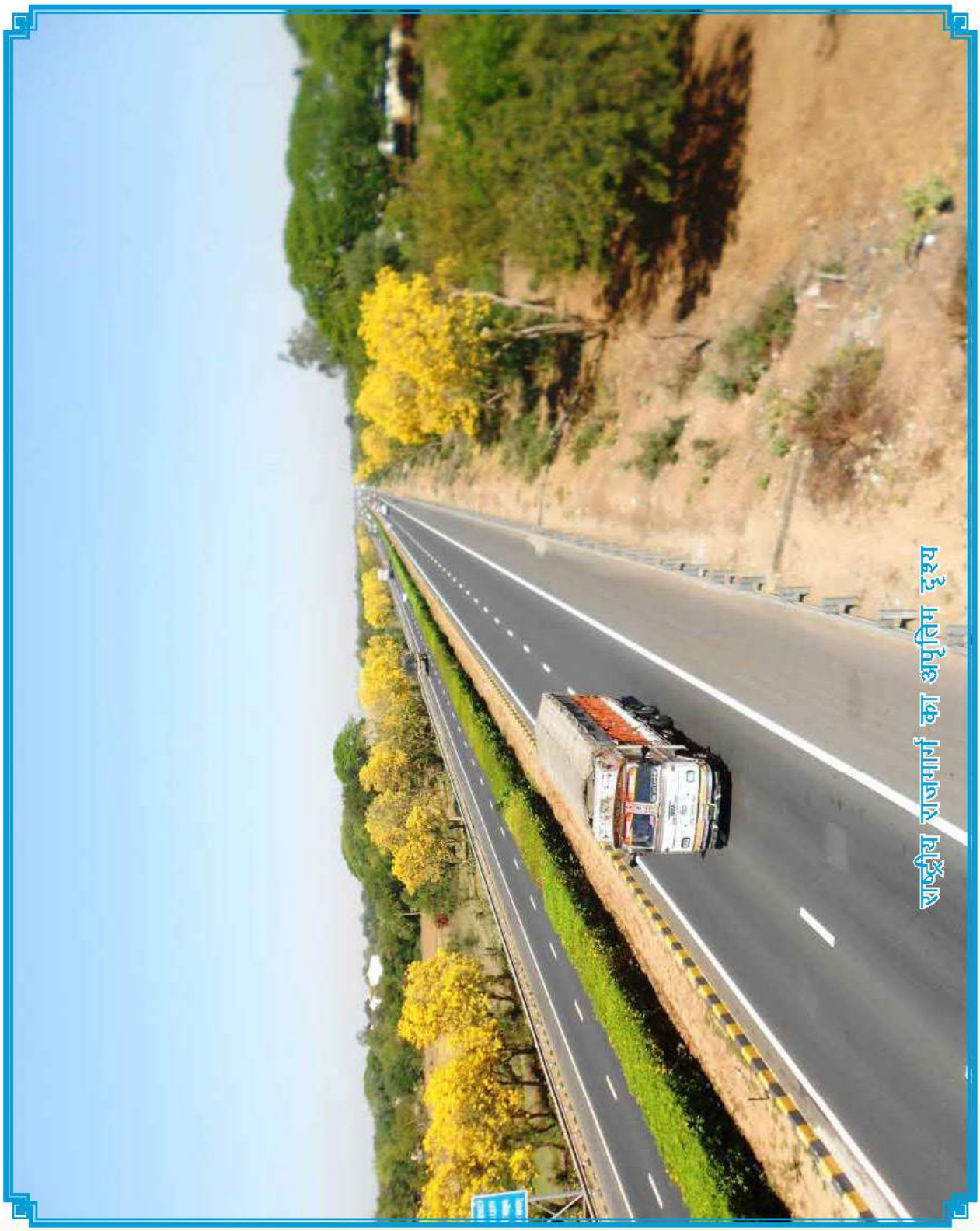

कुछ स्थानों में सड़क पर एक उभार होता है, जो यातायात को धीमा करने के लिए जान–बूझकर बनाया जाता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह इस उभार को पार करने के लिए वाहन की गति कम करे।

Sometimes there is a hump on road intentionally created for slowing the traffic. This sign cautions the driver that he should reduce the speed to cross the hump comfortably.

अध्याय–V

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

5.1 मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु विशेष ध्यान दे रहा है और कुल आवंटन का 10 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लम्बाई 13,258 कि.मी. है। और इन्हें तीन एजेंसियों– राज्य लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और एनएचआईडीसीएल द्वारा विकसित और अनुरक्षित किया जा रहा है। कुल 13,258 कि.मी. लम्बाई में से लगभग 12,476 कि.मी. एनएचआईडीसीएल और संबंधित राज्यीय लोक निर्माण विभाग के पास है। शेष 782 कि.मी. लम्बाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है।

5.2 राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शुरू किए गए विकास एवं अनुरक्षण कार्यों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

(i) एनएचडीपी चरण–III के अंतर्गत लम्बाई– 110 कि.मी.

(ii) राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई, एसएआरडीपी–एनई के अंतर्गत राज्यीय सड़कें:

चरण 'क'	4099 कि.मी.
चरण 'ख'	2,392 कि.मी.
अरूणाचल प्रदेश सड़क एवं राजमार्ग पैकेज	2319 कि.मी.

5.3 मेघालय राज्य (जोवाई–मेघालय/असम सीमा (रताचेरा) खंड) में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44 की 110 कि.मी. लम्बाई एनएचडीपी चरण–।।। के अंतर्गत आती है।

5.4 अन्तर्राष्ट्रीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजना के अंतर्गत 646.24 करोड़ रुपए की 38 परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

5.5 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 1818.01 करोड़ रुपए की राशि के 339 कार्य शुरू किए गए हैं।

5.6 राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत संस्वीकृत 1105.27 करोड़ रुपए के 62 कार्य प्रगति पर हैं।

5.7 पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यों के राज्यवार ब्योरे इस प्रकार हैं:–

अरूणाचल प्रदेश

5.8 सरकार ने 11919 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2319 कि.मी. सड़कों के निर्माण/सुधार कार्य शामिल करते हुए अरूणाचल प्रदेश सड़क और राजमार्ग पैकेज अनुमोदित किया है। 2319 कि.मी. लम्बाई में से 2180 कि.मी. लम्बाई अरूणाचल प्रदेश राज्य में पड़ती है।

5.9 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अब तक राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 475.68 करोड़ रुपए की लागत के 71 कार्य शुरू किए गए हैं।

5.10 अन्तर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व की योजनाओं के अंतर्गत 137.39 करोड़ रुपए की लागत के 8 कार्य प्रगति पर हैं।

कई बार सड़क पथ–कर वसूली केंद्र/जांच चौकी से होकर गुजरती है। ऐसे स्थानों पर अवरोध देखे जा सकते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अवरोध है और वहाँ वाहनों को रुकना पड़ेगा।

Many a times the road passes through toll collection point/check posts etc. One can find barriers on such places. This sign indicates that there is a barrier ahead on the road and vehicle has to stop there.

असम

5.11 राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार 685.56 करोड़ रुपए की लागत के 17 सुधार कार्य प्रगति पर हैं।

5.12 असम में लुमडिंग–डबोका–नगांव–गुवाहाटी से होकर सिल्चर से श्रीरामपुर को जोड़ने वाली 670 कि.मी. की लम्बाई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–।। के अंतर्गत पूर्व पश्चिम महामार्ग के भाग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपी गई है। असम में बालचेरा और हरंगजों के बीच 31 कि.मी. को छोड़कर पूर्व–पश्चिम महामार्ग खंड का कार्य सौंप दिया गया है और 4 लेन बनाने का कार्य प्रगति के भिन्न–भिन्न चरणों में है। गुवाहाटी बाईपास के 18 कि.मी. में कार्य पूरा कर लिया गया है।

5.13 केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत अभी तक राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 519.67 करोड़ रुपए के 108 कार्य शुरू किए गए हैं।

5.14 अन्तर्राज्यीय सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत 2014–15 के दौरान स्वीकृत 60.00 करोड़ रुपए के दो आरंभ हो चुके कार्य प्रगति पर हैं।

5.15 सरकार ने 'पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम' के चरण 'क' के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी पर नुमालीगढ और गोहपुर को जोड़ने वाले चार लेन के पुल के निर्माण सहित नुमालीगढ से डिब्रुगढ़ (201 कि.मी.) तक राष्ट्रीय राजमार्ग 37 को चार लेन का बनाने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। रूमालीगढ–डिब्रुगढ तक तीन पैकेजों में सौंपे गए कार्यों को स्वीकृति दे दी गई है। जहां तक नुमालीगढ़–गोहपुर पुल का संबंध है, डीपीआर तैयार किए जाने हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति कर दी गई है।

5.16 सरकार ने 11919 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 2319 कि.मी. सड़कों को शामिल करते हुए अरुणाचल प्रदेश सडक और राजमार्ग पैकेज को कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृति दे दी है। 2319 कि.मी. लम्बाई में से 139 कि.मी. असम राज्य में आती है।

मणिपुर

5.17 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार, 53.32 करोड़ रुपए की लागत से 2 पुलों पर हो रहे कार्यों सहित 77.88 करोड़ रुपए की लागत के 3 सुधार कार्य प्रगति पर हैं ।

5.18 सीआरएफ के अंतर्गत 130.90 करोड़ रुपए की राशि के 34 निर्माण कार्य प्रगति पर है/पूरे हो चुके हैं।

5.19 ईआई और आईएससी के अंतर्गत 109.08 करोड़ रुपए की राशि के 5 निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ किये जा चुके है।

5.20 राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) के अंतर्गत वर्ष 2015–16 के दौरान 31.12.2015 तक 100 करोड़ रुपए की राशि के 7 निर्माण कार्य संस्वीकृत किये गये हैं।

मेघालय

5.21 31 दिसम्बर 2015 तक की स्थिति के अनुसार, 157.30 करोड़ रुपए के 21 सुधार कार्य प्रगति पर हैं ।

5.22 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, अब तक 117.83 करोड़ रुपए के 30 निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं । इसके अतिरिक्त,, अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क की केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 60.40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 3 कार्य प्रगति पर है ।

यह चिन्ह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिन्हों में से एक है। यह चिन्ह दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ–कर प्रशासन इस चिन्ह को जांच–चौकियों पर लगाते हैं।

This is one of the most important and prominent Road Signs. This sign indicates that driver should immediately stop. Usually Police, traffic and toll authorities use this sign at check posts.

फिसलन-भरी सड़क
Slippery Road

मिजोरम

5.23 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार 81.49 करोड़ रुपए के 17 सुधार कार्य प्रगति पर हैं ।

5.24 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, 90.23 करोड़ रुपए की धनराशि के 26 सुधार कार्य प्रगति पर है/ पूरे हो चुके हैं ।

5.25 ईआई और आईएससी के अंतर्गत 77.35 करोड़ रुपए मूल्य के 8 निर्माण कार्य प्रगति पर है।

नागालैंड

5.26 31 दिसम्बर, 2015 की स्थिति के अनुसार, 103.06 करोड़ रुपए की लागत से 4 सुधार कार्य प्रगति पर हैं ।

5.27 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत 368.13 करोड़ रु. मूल्य के 27 सुधार कार्य शुरू किए गए हैं ।

सिक्किम

5.28 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत, राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 58.89 करोड़ रु. मूल्य के 31 निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं । इसके अलावा अंतर्राज्यीय सड़क संपर्क और आर्थिक महत्व योजना के अंतर्गत 180.80 करोड़ रु. की लागत के 11 कार्य प्रगति पर हैं ।

त्रिपुरा

5.29 केन्द्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए 56.88 करोड़ रुपए के 12 कार्य शुरू किए गए हैं । आर्थिक महत्व की स्कीम के अंतर्गत 21.22 करोड़ रुपए की लागत का एक कार्य प्रगति पर है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग का अपूर्तिम दृश्य

यह चिन्ह आगे की सड़क की फिसलन–भरी स्थितियों को दर्शाता है। इन स्थितियों का कारण जल रिसाव या तेल का फैलना आदि हो सकता है। यह चिन्ह दिखने पर चालक सदैव दुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन की गति कम करे।

This sign indicates the slippery condition of the road ahead. This condition could be due to seepage of water or oil spill etc. The driver should invariably slow down the vehicle at sight of this sign to avoid crash.

यह चिन्ह पैदलपथ अंडरपास/सबवे को दर्शाता है। इस स्थान पर सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों को अनिवार्य रूप से इन अंडरपास/सबवे का प्रयोग करना चाहिए।

This sign indicates entry to a pedestrian underpass/subway. Pedestrians should invariably use these underpass/subway to cross the road.

अध्याय –VI

वर्ष 2015–16 के दौरान अनुसंधान और विकासः

6.1 सड़क क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की भूमिका, परियोजनाओं में प्रभावी गुणता नियंत्रण के लिए नवीन परीक्षण तकनीक और उपस्करों का प्रयोग शुरू करने, परियोजनाओं में अधुनातन निर्माण सामग्री अपना कर सड़क और पुल निर्माण कार्य के लिए विनिर्देशों को अद्यतन करने तथा राजमार्ग निर्माण और अनुरक्षण के लिए नई तकनीक की सिफारिश करने की है । मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अनुसंधान स्कीमें सामान्यतः "अनुप्रयुक्त" स्वरूप की होती हैं जो एक बार पूरी हो जाने पर, प्रयोक्ता एजेंसियों/विभागों द्वारा अपने–अपने कार्य–क्षेत्र में अपनाई जा सकती हैं । इनमें सड़क, सड़क परिवहन, पुल, यातायात और परिवहन इंजीनियरी आदि क्षेत्र आते हैं । अनुसंधान कार्य, विभिन्न अनुसंधान व शैक्षिक संस्थाओं में किया जाता है । अनुसंधान निष्कर्षों का प्रचार–प्रसार भारतीय सड़क कांग्रेस के माध्यम से "भारतीय राजमार्ग में शोध" डाइजेस्ट के प्रकाशन और इन निष्कर्षों को विभिन्न दिशा निर्देशों, पद्धति संहिता में शामिल करके, अत्याधुनिक रिपोर्टों के संकलन और इस मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों और अनुदेशों के माध्यम से किया जाता है । मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा, संवेदनशील सड़क प्रयोक्ताओं और शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की सुरक्षा में सुधार किए जा रहे हैं। इस प्रकार, अनुसंधान कार्य देश में सड़क नेटवर्क के विकास में सहायता कर रहा है । वर्ष 2015–16 में अनुसंधान और विकास के लिए 1000.00 लाख रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है ।

6.2 पूरी हो चुकी अनुसंधान और विकास योजनाएं

- भूकंपीय तरंगों के उपयोग से पेवमेंटों की जांच करना ।
- प्रयोगशाला परीक्षण के समर्थन के माध्यम से उच्च घनत्व यातायात कोरिडोरों पर कठोर पेवमेंटों के निष्पादन का आकलन ।
- शोधित बाइंडर के साथ बिटुमिनस मिश्रण के स्थलीय निष्पादन की जांच करना ।
- ऐसी अत्याधुनिक रिपोर्टें तैयार करना जिनके परिणाम–स्वरूप पैदलयात्रियों/शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों/यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं बारे में और गैर–मोटरीकृत यातायात पर विशेष बल देते हुए सड़क सुरक्षा के बारे में दिशा–निर्देश तैयार किए जा सकें ।

एसएंडआर पुल :

➢ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रेलवे के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है जिसमें उन सभी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया है जो निर्माण के दौरान जीएडी की अनुमोदन प्रक्रिया में आड़े आती थी। यह समझौता ज्ञापन आरओबी के जीएडी अनुमोदन को सुचारू बनाएगा और आरओबी के निष्पादन के दौरान निर्णयों को सुगम बनाने में सहायता भी करेगा।

➢ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर आरओबी/आरयूबी के द्वारा समयबद्ध रीति से सभी स्तर की क्रॉसिंग को हटाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रयोजन के लिए आरओबी/आरयूबी हेतु परियोजना रिपोर्टें तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की गई है। परामर्शदाताओं ने अब एकल परियोजनाओं के लिए अभिनिर्धारित किये गये 208 आरओबी में से 100 आरयूबी/आरओबी के लिए अनुमानित लागत सहित परियोजना रिपोर्ट सौंप दी है। मौजूदा वार्षिक

यह सड़क चिन्ह दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है या साइकिल चालक इस पथ का निरंतर प्रयोग करते हैं। ड्राइवर को सावधानीपूर्वक चौराहा (इंटरसेक्शन) पार करना चाहिए ताकि साइकिल सवार सुरक्षित ढंग से मुख्य सड़क पार कर सकें।

This road sign indicates that there is a cycle path intersecting the major road or is frequented by cyclists. The driver should carefully cross this intersection so that cyclist could cross the major road safely.

योजना (2015–16) के दौरान आशा है कि मंत्रालय देश भर में 60 आरओबी को स्वीकृति प्रदान करेगा। मंत्रालय द्वारा ई–टेंडरिंग के माध्यम से इसके लिए बोली लगाई जाएगी।

- मंत्रालय ने एचटी–3 श्रेणी तक के हाइड्रोलिक ट्रेलरो की आवाजाही के लिए अनुमति देने हेतु एक वेब पोर्टल विकसित किया है और 6 जनवरी, 2015 को उसका शुभारम्भ किया गया है। यह वेब पोर्टल राष्ट्रीय राजमार्गों पर हाइड्रोलिक ट्रेलरो की आवाजाही के लिए समयबद्ध आधार पर अनुमति देने की सुविधा प्रदान करेगा। इससे भारी उपकरणों के सुचारू और समय पर आवागमन में सुविधा मिलेगी जिससे देश में आर्थिक प्रगति बढ़ेगी। वेब पोर्टल कार्य कर रहा है। तथापि, स्थिति सर्वेक्षण के लिए परामर्शदाताओं द्वारा विकसित रिपोर्टों के आधार पर वेब पोर्टल का आगे उन्नयन किया जाएगा।
- राज्यवार अथॉरिटी इंजीनियर नियुक्त किये गये हैं जो मंत्रालय द्वारा ईपीसी दस्तावेजों के अनुसार वित्तपोषित सिविल कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह उल्लेखनीय है कि ईपीसी दस्तावेजों के अनुसार अथॉरिटी को ईपीसी के अंतर्गत निष्पादित किये जाने वाले सिविल कार्य सौंपे जाने के बाद 15 दिन के भीतर अथॉरिटी इंजीनियर नियुक्त करना होता है। प्रत्येक राज्य में यह परामर्शी सफलतापूर्वक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
- मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजामर्गों पर पुलों के लिए इनवेंटराइजेशन और स्थिति सर्वेक्षण पूरा करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किये हैं। यह परामर्शदाता आईआरसी:एसपी:35 के अनुसार आवधिक रूप से स्थिति सर्वेक्षण पूरा कर रहे है और इन परामर्शदाताओं द्वारा संग्रहीत डेटा आईएएचई, नोएडा द्वारा स्थापित भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली द्वारा प्रयोग किया जाएगा जोकि मंत्रालय को उपलब्ध निधियों में से भावी योजना और पुल परिसम्पत्तियों में से इस प्रयोजन के लिए प्राथमिकताओं के संबंध में सुझाव देगा।
- मौजूदा वित्तीय वर्षों में लगभग 351.05 करोड़ रुपए के प्रमुख पुल कार्यों की मंजूरी प्रस्तावित है। इसमें से 185 करोड़ रुपए की राशि के प्रस्तावों पर कार्यवाही की गई है।

आईएएचई में पुल सेल का उद्घाटन

यह संकेत दर्शाता है कि सड़क पर आगे सुरंग है। यह संकेत कई बार सुरंग के नाम तथा उसकी लंबाई को भी दर्शाता है।
This sign indicates the tunnel on road. This sign sometimes may also indicate the name and length of tunnel.

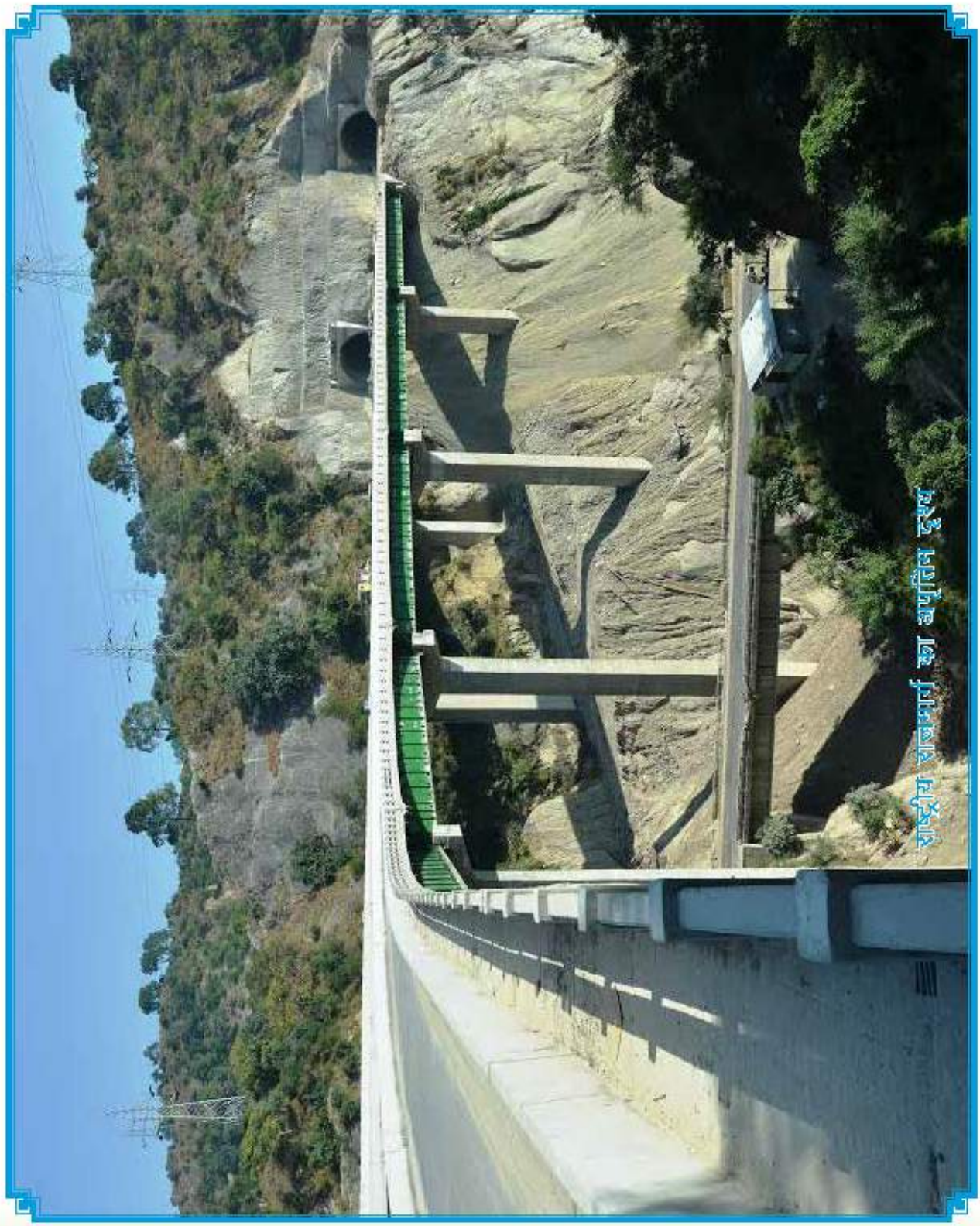

यह चिन्ह सड़क के पास टेलीफोन की उपलब्धता को दर्शाता है।
This sign indicates the availability of Telephone near road.

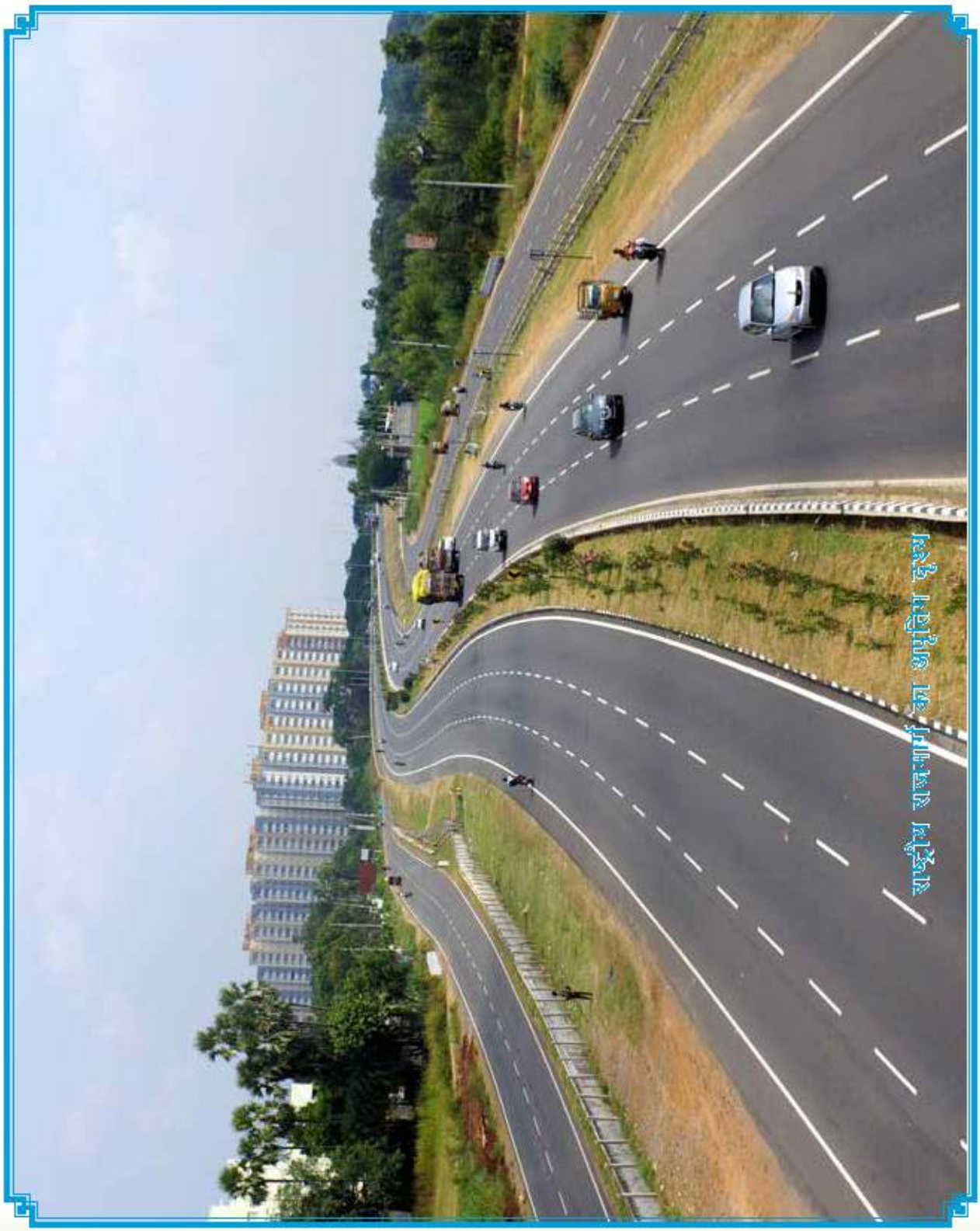

यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क तीन रंग वाली बत्ती सिगनल से प्रचालित है क्योंकि चालक कुछ सड़कों पर इस प्रकार की व्यवस्था का अनुमान नहीं लगा पाते।

This sign on road indicates that this road is regulated by three-colour light signals, as driver may not expect such section of some roads.

अध्याय–VII

राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम (एनएचआईडीसीएल)

7.1 प्रस्तावना

7.1.1 देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र और अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे सामरिक क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य अवसंरचना के निर्माण में तेजी लाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में 18 जुलाई, 2014 को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम (एनएचआईडीसीएल) की स्थापना की गई थी। इस प्रयास द्वारा यहाँ के लोगों को मजबूत तरीके से मुख्यधारा में शामिल करते हुए उन्हें स्थानीय आबादी को मिलने वाले समग्र आर्थिक लाभ देकर इन क्षेत्रों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने का उद्देश्य था।

7.1.2 इस कंपनी ने 22 सितम्बर, 2014 को प्रथम नियुक्ति करते हुए अपना प्रभावी कार्यकरण आरंभ किया। कम्पनी ने 1 जनवरी, 2016 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से कार्यों के प्रथम हस्तांतरण के साथ ही विभिन्न कार्यों और परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए गति पकड़ी।

7.1.3 कंपनी ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देकर देश में निर्माण और उच्चतम स्तर के बुनियादी ढांचे के सृजन और प्रबंधन हेतु एक साधन बनने की दृष्टि स्थापित की है। इसका मिशन एक ऐसी पेशेवर कंपनी बनने का है जो सर्वाधिक कुशल और पारदर्शी ढंग से काम करे और सभी स्टेकहोल्डरों को अधिकतम लाभ देने के लिए बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं का समयबद्ध रीति से डिजाइन, विकास और डिलिवरी करे।

7.1.4 एक दिन फॉच्यूर्न 500 कंपनी बनने के लिए,एनएचआईडीसीएल ने अपनाई जाने वाली सात महत्वपूर्ण रणनीतियों की पहचान की है। कुशलता और पारदर्शिता के लिए सबसे पहले यह ई–ऑफिस, ई–टेंडरिंग, ई–मॉनिटरिंग और ई–एक्सेस जैसे ई–टूल्स का इस्तेमाल कर रही है। दूसरे, बुनियादी ढांचे के व्यापार को आसान बनाने के लिए यह कंपनी विभिन्न प्रक्रियाओं और विधियों का पुर्नलोकन कर रही है। तीसरे,एनएचआईडीसीएल ननीनतम घटनाक्रमों के साथ तालमेल रखने के लिए स्टॉफ और स्थानीय ठेकेदारों सहित स्टेकहोल्डरों के साथ निरंतर क्षमता निर्माण में लगी हुई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और सामरिक क्षेत्रों में स्थानीय ठेकेदारों और अभियंताओं के क्षमता विकास से राजमार्गों और अन्य बुनियादी ढांचों के निर्माण में उनके सक्रिय रूप से भागीदार बनने में सहायता मिलेगी जिससे इन क्षेत्रों का समावेशी विकास होगा। चौथी रणनीति के रूप में कम्पनी का प्रयास है गुणता, टिकाऊपन, निष्पादन की गति, सुरक्षा मानकों एवं लागत में कमी के लिए सामग्री, डिजाइन और कार्यों की नवीन लेकिन समुचित तकनीक को आसान बनाना और पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखना। पाँचवीं रणनीति के रूप में एनएचआईडीसीएल विचारों के आदान–प्रदान के लिए विशेषज्ञों और प्रमुख अनुसंधान संस्थानों के समावेश द्वारा वैज्ञानिक और अभिनव सोच पैदा करने के लिए एक मंच सृजित कर रहा है और उद्योग जगत में अग्रणी बन रहा है। छठी रणनीति के रूप में, अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए शीघ्र विवाद सामधान तंत्र उपलबध कराने के संबंध में एनएचआईडीसीएल वचनबद्ध है। अंत में, सातवीं रणनीति है इसका एक विजन एक मिशन के सृजन हेतु स्टेकहोल्डरों के साथ नियमित रूप से परामर्श करते रहना।

यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां सड़क पर पशुओं के भटकते हुए घूमने की बहुत संभावनाएं हैं। सड़क पर पशुओं के घूमने से बड़ी दुर्घनाएं हो सकती है क्योंकि यातायात में जानवर के भड़कने का खतरा रहता है। इसलिए, जहां कहीं यह चिन्ह देखें, सावधानी से गाड़ी चलाएं।

This sign indicate that there is great possibility of cattle straying on the road. Cattle on road can cause major crashes as animal reacts unpredictably in traffic. So drive carefully wherever you see this sign.

7.1.5 लागत को कम करने के लिए यह कंपनी बांटने की प्रवृत्ति पैदा कर रही है। कंपनी द्वारा सभी तकनीकी संसाधनों और उपकरणों को सांझा पूल में रखा गया है।

7.1.6 अल्पावधि के भीतर, एनएचआईडीसीएल ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय और असम, अरूणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में दस शाखा कार्यालय खोले हैं।

7.1.7 एनएचआईडीसीएल इतने कम समय में देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सामरिक सीमा क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचों के विकास के क्रियाकलापों में तेज गति लाने में सक्षम हो गया है। आज की तारीख तक कंपनी को 110 राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास परियोजनाओं का दायित्व सौंपा गया है जिसमें लगभग 7400 कि.मी. की लम्बाई कवर होती है जिसका लगभग 80,000 करोड़ रुपए की लागत से निष्पादन किया जाना है।

7.1.8 इसके आरंभ के पहले वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान एनएचआईडीसीएल के असम, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा राज्य में लगभग 6044 करोड़ रुपए की लागत से 600 कि.मी. लम्बाई कवर करने वाली 18 परियोजनाओं को लागू करने संबंधी समझौतों में प्रवेश किया है।

7.1.9 इस वित्त वर्ष के दौरान, 30 नवम्बर तक कंपनी ने 910 करोड़ की लागत से पूरा होने वाली 101 कि.मी. लम्बाई की 4 परियोजनाओं के ठेके दे दिए हैं। आज की तारीख तक, 12600 करोड़ की अनुमानित सिविल लागत पर 167 कि.मी. लम्बाई की तीन परियोजनाएं नागालैंड में, एक परियोजना अरूणाचल प्रदेश में और चार अतिरिक्त परियोजनाएं आसाम में ठेके पर दिए जाने की प्रक्रिया में हैं।

7.1.10 असम में कंपनी ने पहले ही 5,800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाई जाने वाली लगभग 280 किलोमीटर लम्बाई की 10 परियोजनाओं के ठेके दे दिए हैं। वास्तव में कंपनी ने राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच 37ए पर कलियाभूमरा ब्रिज और रारा 37, 52ए और 53 पर अन्य छः परियोजनाओं पर कार्य आरंभ कर दिया है।

7.1.11 अरूणाचल प्रदेश में कंपनीने पहले ही 2178 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बनाई जाने वाली लगभग 236 कि.मी. लम्बाई की 10 परियोजनाओं के ठेके दे दिए हैं और सात परियोजनाओं पर वास्तव में कार्य आरंभ हो चुका है।

7.1.12 जम्मू और कश्मीर में एनएचआईडीसीएल ने जम्मू – अखनूर और चेन्नानी–खानाबल मार्गों को क्रमशः चार लेन और दो लेन मार्ग में उन्नयन करने के लिए डीपीआर की तैयारी हेतु परामर्शियों को अंतिम रूप दे दिया है।

7.1.13 मणिपुर में, एनएचआईडीसीएल ने रारा 39 पर मौजूदा इम्फाल–मोरेह खंड के उन्नयन और एडीबी की सहायता से निर्मित किए जाने वाले वैकल्पिक इम्फाल, मोरेह मार्ग के विकास के लिए भी डीपीआर को अंतिम रूप दे दिया है। इसके अतिरिक्त एनएचआईडीसीएल ने लगभग 111 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बराक और मकरू नदियों पर दो पुलों के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दे दिया है।

7.1.4 मेघालय में,कंपनी 239 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित की जाने वाली 62 कि.मी. लम्बाई की एक परियोजना को क्रियान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार से भूमि प्राप्त होने पर लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत से 255 कि.मी. लम्बाई की चार अन्य परियोजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। इसके अलावा एनएचआईडीसीएल ने रारा 51 पर जेआईसीए की सहायता से 288 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से

कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी के साथ जोड़ी जाती हैं। चूँकि नदी सड़क को विभाजित करती है इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चिन्ह दर्शाता है कि वहां नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है।

Some times roads are intersected by the river without the provision of bridge. These roads are connected through ferry service. This sign indicates that there is a ferry service available to cross the river.

48 कि.मी. लम्बाई के तुरा बाइपास सहित तुरा–डलू खंड के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है।.

7.1.15 मिजोरम में कम्पनी ने जेआईसीए की सहायता से 4,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागतपर बनाए जाने वाले 380 कि.मी. लम्बाई के राष्ट्रीय राजमार्ग 54 के आइज्वालसे तुईपांग खंड के उन्नयन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है।

7.1.16 एनएचआईडीसीएल नागालैंड में 1200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के दीमापुर–कोहिमा खंड के चार लेनिंग कार्य का ठेका देने की प्रक्रिया में है। इसने इम्फाल से कोहिमा के बीच 126 कि.मी. लम्बाई पर राष्ट्रीय राजमार्ग 39 में सुधार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए पराशर्मदाता भी नियुक्त कर दिए हैं जिसकी लागत लगभग 1250 करोड़ रुपए होगी और इस कार्य को जेआईसीए की सहायता से किया जाएगा।

7.1.17 सिक्किम में, एनएचआईडीसीएल ने बगराकोट से मेनलातक वैकल्पिक राजमार्ग के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी तेज कर दी है। इस परियोजना की अंतिम डीपीआर जनवरी, 2016 तक तैयार हो जाएगी। कम्पनी शीघ्र ही लगभग 440 करोड़ रुपए की लागत से सिंगतम–गियालशिंग के 40 कि.मी. के खंड को दो लेनिंग बनाने के कार्य का ठेका देने हेतु निविदाएं आमंत्रित करेगी।

7.1.18 त्रिपुरा में, एनएचआईडीसीएल ने 1,071 करोड़ रुपए की लागत पर रारा–44 के 122 कि.मी. लम्बे अगरतला–उदयपुर–सबरूम खंडों को दो लेनिंग बनाने का कार्य आरंभ कर दिया है।

7.1.19 एनएचआईडीसीएल रारा–108 के धारासू से गंगोत्री तक 124 कि.मी. के खंड के विकास और उन्न्यन से संबंधित परियोजनाए पूर्व क्रियाकलापों को भी पूरा कर रही है।

7.1.20 अंडमान में कम्पनी बेम्बू–फ्लैट से चौथम द्वीप के बीच एक पुल अभवा समुद्र के नीचे सुरंग बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए पुनः निविदाएं आमंत्रित कर रही है।

7.1.21 कम्पनी पश्चिम बंगाल में ककद्वीप के साथ सागर द्वीप को जोड़ने के लिए रेल सह सड़क पुल बनाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर रही है।

7.1.22 नेपाल–भारत के बीच मजबूत संपर्क स्थापित करने के लिए एनएचआईडीसीएल मेची नदी पर एडीबी की सहायता से पुल का निर्माण करेगा। कम्पनी इस परियोजना हेतु पहले ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दे चुकी है और अगले वर्ष इस कार्यके लिए निविदाएं जारी की जाएंगी।

7.1.23 एनएचआईडीसीएल ने भारतमाला योजना और पिछड़े क्षेत्रों/धार्मिक/पर्यटन स्थलों के बीच संपर्क योजना के तहत सात राज्यों में नए संपर्क जोड़ने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की है।

7.1.24 एनएचआईडीसीएल पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा देश के सामरिक सीमावर्ती क्षेत्रों में राजमार्गों के निर्माण तथा अवसंरचना के विकास से जुड़ी गतिविधियों में तेजी लाने में सफल रहा है। वर्तमान में एनएचआईडीसीएल द्वारा निम्नलखित परियोजनाएं निष्पादित की जा रही हैं।

तीव्र जलवायु में भूस्खलन के दौरान पहाड़ी रास्तों पर पत्थर/चट्टानें गिरती रहती हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर पत्थर/चटट्ानें गिरने का खतरा है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए।

In hilly roads the rocks fall on road during landslides in extreme climates. This sign shows that the road ahead is prone to such falling of rocks and driver should drive carefully to avoid crash.

➢ वर्तमान में एनएचआईडीसीएल द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं निष्पादित की जा रही हैं:

क्र.स.	राज्य	पैकेजों की संख्या / खंड	लम्बाई कि.मी. में	लागत (करोड़ रुपए में)
1	अरूणाचल प्रदेश	5	134	1268
2	असम	10	282	5820
3	त्रिपुरा	2	122	1070
4	मेघालय	1	62	292
	जोड़	18	600	8450

➢ निष्पादन के लिए निम्नलिखत परियोजनाएं सौंपी गई हैं:

क्र.स.	राज्य	पैकेजो की संख्या / खड	लम्बाई कि.मी. में	लागत (करोड़ रुपए में)
1	अरूणाचल प्रदेश	4	113.844	1061.04

➢ उपर्युक्त चालू परियोजनाओं के अतिरिक्त 31.3.2016 को समाप्त अवधि के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं सौंपे जाने की सम्भावना है:

क्र.स.	राज्य	पैकेजों की संख्या / खंड	लम्बाई कि. मी. में	लागत (करोड़ रुपए में)
1	असम	4	82.615	1000.11
2	नागालैंड	3	43.825	1199.11
3	उत्तराखंड	1	0.600	50.51
	जोड़	8	127.04	2,249.73

7.1.25 आज की तारीख तक एनएचआईडीसीएल को सौंपी गई परियोजनाओं के संबंध में अब तक भूमि अधिग्रहण, जनोपयोगी सुविधाओं के स्थानांतरण और सिविल कार्यों पर व्यय की गई धनराशि और 31 मार्च, 2016 तक होने वाले संभावित व्यय को दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट–7** पर संलग्न है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागतसे 4900 कि.मी. कवर करने वाली 54 परियोजनाओं के ठेके देने का प्रस्ताव किया है।

7.2 महत्वपूर्ण घटनाएं

7.2.1 एनएचआईडीसीएल के प्रतीक चिह्न, भविष्य दृष्टि, मिशन, वेबसाइट, ई–पुस्तक, ई–पहुंच का लोकार्पण और प्रथम निविदा का जारी किया जाना

➢ माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और पोत परिवहन मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने 28 जनवरी,

यह चिन्ह आगाह करता है कि आगे के रास्ते पर गहराई है। यह चिन्ह ड्राइवर को सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की गति धीमी रखने में सहायक होता है।

This sign cautions that there is a dip on road ahead. This sign helps driver to reduce the speed to cross the plunge on road.

उभार या ऊबड़-खाबड़ सड़क
Hump or Rough Road

2015 को राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) के प्रतीक चिह्न, भविष्य दृष्टि, मिशन के विवरण, ई–पुस्तक, ई–पहुंच एवं कार्यक्रम का लोकार्पण किया।

- इस अवसर पर उन्होंने 272 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अरुणाचल प्रदेश में अकजान–लिकाबली–बामे सड़क को (पेव्ड शोल्डर सहित) 2 लेन का बनाने से संबंधित प्रथम निविदा भी जारी की।
- इस समारोह में श्री विजय छिब्बर, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और पदेन सभापति, एनएचआईडीसीएल, श्री आनन्द कुमार, प्रबंध निदेशक, एनएचआईडीसीएल, श्री संजय जाजू और निदेशक (ए एंड एफ) एनएचआईडीसीएल भी उपस्थित थे।

7.3 इनाम–प्रो का लोकार्पण

माननीय केन्द्रीय मंत्री, सड़क परिवहन, राजमार्ग और पोत परिवहन, श्री नितिन गडकरी ने 10 मार्च, 2015 को एनएचआईडीसीएल के माध्यम से एक नए वेब पोर्टल का लोकार्पण किया जोकि सीमेन्ट और अन्य सामग्री के लिए एक बाजार स्थल है। इनाम–प्रो सीमेन्ट और सामग्री को कम लागत पर उपलब्ध कराकर निर्माण लागत में कमी लाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इनाम–प्रो पर विक्रेता और क्रेता दिए गए आर्डर और उठाई गई मात्रा का वास्तविक समय आधार पर पता लगा सकते हैं। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह पोर्टल एक असाधारण पहल है जो अवसंरचना के लिए न केवल निविष्ट लागत में कमी लाएगा बल्कि यह इससे जुड़े सभी लोगों के लिए फायदे का सौदा भी है।

7.4 गुवाहाटी में आयोजित सम्मेलन

इस वर्ष के दौरान 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और अभिनव प्रौद्योगिकी एवं सामग्री के उपयोग में राजमार्गों तथा अवसंरचना के निर्माण में प्रमुख चुनौतियों' नामक विषय पर एनएचआईडीसीएल द्वारा 30 जून और 1 जुलाई, 2015 को गुवाहाटी और असम में आयोजित सम्मेलन एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य स्थानीय ठेकेदारों, इंजीनियरों और अन्य हितधारकों को उस क्षेत्र में एवं अन्यत्र राजमार्गों और अवसंरचना के निर्माण में भागीदारी के योग्य बनाना था।

7.5 सम्मेलन में निम्नलिखित सात विषयों पर विचार किया गया:–

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजमार्गों और अवसंरचना के निर्माण की चुनौतियाँ।
- राष्ट्रीय राजमार्ग और संबंधित अवसंरचना में सिविल कार्यों और परामर्शियों की अधिप्राप्ति की नवीनतम प्रवृत्ति।
- राजमार्गों और अवसंरचना के निर्माण एवं अभिनव प्रौद्योगिकियों के प्रयोग की चुनौतियां।
- चुनौतियों का सामना करना।
- नैनो प्रौद्योगिकियां और उनका पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रभावी प्रयोग।
- ढलान स्थिरीकरण–पर्यावरण हितैषी ढाल संरक्षण तकनीकें।
- सड़क सुरक्षा संबंधी मामले।

7.5.1 इस सम्मेलन का उद्घाटन श्री नितिन गडकरी, माननीय मंत्री सड़क परिवहन, राजमार्ग और पोत परिवहन द्वारा 30 जून, 2015 को किया गया और श्री मुकुल एम. संगमा, मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री ने केंद्र और

कुछ स्थानों में सड़क पर एक उभार होता है, जो यातायात को धीमा करने के लिए जान–बूझकर बनाया जाता है। यह चिन्ह ड्राइवर को आगाह करता है कि वह इस उभार को पार करने के लिए वाहन की गति कम करे।

Sometimes there is a hump on road intentionally created for slowing the traffic. This sign cautions the driver that he should reduce the speed to cross the hump comfortably.

राज्य सरकारों के अनेक वरिष्ठ मंत्रियों, विश्व बैंक के प्रतिनियों, जेआईसीए, एडीबी, ठेकेदारों, प्राधिकरण अभियंताओं, सुरक्षा अभियंताओं और अन्य हितधारकों की शुभ उपस्थिति में इसकी अध्यक्षता की।

7.5.2 इस दो दिवसीय सम्मेलन से ईपीसी, बीओटी, एन्यूअटी, हाइब्रिड एन्यूअटी मॉडलों जैसे विभिन्न करार के तरीकों की जानकारी प्रदान करने में सहायता मिली। सम्मेलन में विभिन्न प्रक्रिया एवं कार्य विधि सुधारों पर चर्चा की गई जोकि अवसंरचना के विकास की गति बढ़ाने के लिए मार्ग में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए व्यवस्था में शामिल किए जा सकते हैं और सबसे महत्त्वपूर्ण है कि इनसे व्यापार करने में आसानी हो सकेगी। सम्मेलन के साथ–साथ एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार की अभिनव और समुचित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया जो राजमार्गों और अवसंरचना के निर्माण की गति बढ़ाने में प्रयोग की जा सकती हैं।

7.6 स्थापना दिवस

7.6.1 एनएचआईडीसीएल ने होटल अशोक, नई दिल्ली में 20 जुलाई, 2015 को एक समारोह के रूप में अपना पहला स्थापना दिवस मनाया। समारोह से पहले श्री नितिन गड़करी, माननीय केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग और पोत परिवहन द्वारा तृतीय तल, पीटीआई भवन, 4 संसद मार्ग, नई दिल्ली में एनएचआईडीसीएल के कार्पोरेट कार्यालय का उद्घाटन किया गया। समारोह की अध्यक्षता माननीय राज्य मंत्री श्री पोन् राधाकृष्णन द्वारा की गई।

7.6.2 इस वर्ष के दौरान एनएचआईडीसीएल ने सीमेंट और कच्चे माल के क्रय–विक्र हेतु बाजार स्थल के रूप में 'इनाम–प्रो' और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा निष्पादित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं पर हो रही प्रगति की निगरानी हेतु 'ई–पेस 'नामक दो पोर्टल तैयार करने और स्थापित करने में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सहायता की। इसने क्षमता बढ़ाने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी हेतु परामर्श देने तथा प्राधिकरण के इंजीनियरों के संबंधमें पारदर्शिता लाने के लिए परामर्शी फर्मों/राजमार्ग और अन्य अवसंरचना क्षेत्रों में लगे हुए प्रमुख कार्मिकों के पंजीकरण हेतु 'इनफ्राकोन' पोर्टन भी विकसित किया।

7.6.3 कंपनी उच्च सुरक्षा मानकों के क्रियान्वयन की आवश्यकता के प्रति सचेत है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि सड़कों, पुलों और सुरंगों के डिजाइन को अंतिम रूप देते समय सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन किया जाए। एनएचआईडीसीएल द्वारा निर्मित सड़कों में समुचित घुमाव और उतार–चढ़ाव होंगे और कोई ब्लैक स्पॉट नहीं होंगे।

7.6.4 एनएचआईडीसीएल ढाल संरक्षण, धीमें स्थिरीकरण इत्यादि के लिए नई प्रौद्योगिकी द्वारा निर्माण कार्य के क्षेत्रों में परिस्थितिकी और पर्यावरण के अनुरक्षण के लिए भी कदम उठा रहा है।

7.6.5 एनएचआईडीसीएल ने विभिन्न कार्यों के निष्पादन के लिए समय सीमाएं निर्धारित की हैं। ठेकेदारों के बीच विश्वास को बढ़ाने के लिए यह प्रमाणित बिल प्राप्ति से 72 घंटों के भीतर सभी भुगतान कर देता है।

7.6.6 एनएचआईडीसीएल आज क्षमता, पारदर्शिता और गुणता की अलग पहचान लेकर खुद को अन्यों से भिन्न रूप में स्थापित करने के लिए कार्य कर रही है।

कई बार सड़क पथ–कर वसूली केंद्र/जांच चौकी से होकर गुजरती है। ऐसे स्थानों पर अवरोध देखे जा सकते हैं। यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अवरोध है और वहाँ वाहनों को रुकना पड़ेगा।

Many a times the road passes through toll collection point/check posts etc. One can find barriers on such places. This sign indicates that there is a barrier ahead on the road and vehicle has to stop there.

मध्य पट्टी में अंतर
Gap in Median

यह चिन्ह दर्शाता है कि सड़क के 'डिवाइडर' (विभाजक) में एक 'गैप' है और वहां यू–टर्न (वापस मुड़ने) की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति धीमी करे और संबंधित लेन पर उसे ले जाए।

This sign indicates that there is a gap in the divider of a road and there is a provision of U-turn. The driver should slow and take relevant lane to avoid any crash.

चौराहा
Cross Road

यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर क्रॉसिंग है। यह चिन्ह सलाह देता है कि वाहन की गति धीमी करें और दोनों तरफ देखते हुए सावधानी से चौराहा पार करें।

This sign indicates that there is a crossing of roads ahead. This sign indicates that the vehicle should be slowed and Intersection should be crossed cautiously by looking on both sides.

अध्याय–VIII

प्रशासन और वित्त

(क) प्रशासन

8.1 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासन विंग में स्थापना अनुभाग ओ एंड एम अनुभाग और रोकड़ अनुभाग शामिल हैं । प्रशासनिक विंग को इस मंत्रालय के 968 कर्मचारियों (ग्रुप ए,बी,सी और डी) के सेवा और प्रशासनिक मामलें, हाऊस–कीपिंग और वेतन आहरण और संवितरण एवं अन्य व्ययों का कार्य सौंपा गया है । विभिन्न संवर्गों का प्रबंधन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग आदि द्वारा जारी किए गए अनुदेशों और दिशानिर्देशों के अनुरूप किए जाने का प्रयास किया जाता है ।

8.2 मंत्रालय द्वारा अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में इस मंत्रालय में रिक्त पदों को भरने के लिए समय–समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं । तकनीकी और गैर–तकनीकी पक्ष (ग्रुपवार) के लिए पृथक–पृथक सरकारी कर्मचारियों की कुल संख्या और इस मंत्रालय में अनु.जा./अनु.ज.जा. के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व संबंधी सूचना **परिशिष्ट–8** में दी गई है ।

8.3 सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन पेपर वेतन और लेखा अधिकारी के समक्ष समय पर प्रस्तुत किए जाते हैं और सेवानिवृत्ति लाभ सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के अंतिम कार्य दिवस को प्रदान किए जाते हैं ।

8.4 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में एक वेलफेयर सैल मौजूद है जो मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के कल्याण उपाय संबंधी सभी कार्यकलाप करता है । सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की विदाई के लिए मंत्रालय का वेलफेयर सैल एक विदाई पार्टी आयोजित करता है और उन्हें एक स्मारक चिन्ह (मिमेंटो), और एक उपहार भी भेंट किया जाता है । सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में मंत्रालय की महिला कर्मचारियों के कल्याण के संबंध में अनेक कल्याणकारी उपाय किए गए हैं ।

8.5 राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण दिवस अर्थात आतंकवाद–रोधी दिवस, साम्प्रदायिक सद्भाव दिवस, सद्भावना दिवस, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, रैडक्रॉस दिवस, रैडक्रास रेफल ड्रा, स्वच्छ भारत अभियान, सुशासन दिवस आदि मनाए गए और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा शपथ ग्रहण की गई। 'झंडा दिवस' के संबंध में अंशदान भी एकत्रित और संग्रहीत किया गया । साम्प्रदायिक सद्भाव सप्ताह/सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई । इन अवसरों में भाग लेने वालों को पुरस्कार प्रदान किए गए ।

सूचना और सुविधा केन्द्र की स्थापना

8.6 मंत्रालय में एक सूचना और सुविधा काउंटर काम कर रहा है जो प्रभावी तथा उत्तरदायी प्रशासन प्रदान करने के साथ–साथ विभाग द्वारा कार्यान्वित सेवाओं तथा कार्यक्रमों, स्कीमों आदि के बारे में नागरिकों को सूचना

यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहां बायीं ओर साइड सड़क हैं। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात का मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है।

This sign belongs to the family of Give Way signs. This particular sign indicates that there is side road on left. This sign is used in conjunction with a give way sign on the side road.

प्रदान करता है । इस काउंटर पर विभिन्न विषयों पर आम जनता के लिए उपयोगी सामग्री रखी गई है । जानकारी देने के अलावा, इस काउंटर पर लोक शिकायत आवेदन पत्र भी स्वीकार किए जाते हैं जिन्हें बाद में संबंधित प्राधिकारियों को विचारार्थ और समाधान हेतु भेज दिया जाता है । मंत्रालय की गतिविधियों और सेवाओं से संबंधित नागरिक/ग्राहक चार्टर मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

नागरिक चार्टर की संरचना

8.7 मंत्रालय के कार्य के बारे में जानकारी देने के लिए नागरिक चार्टर को मंत्रालय की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है ।

विभागीय रिकार्ड रूम

8.8 मंत्रालय द्वारा अभिलेखों के प्रबंधन की ओर भी उचित ध्यान दिया जा रहा है । वर्ष के दौरान, 31 दिसम्बर, 2015 तक 3712 फाइलें रिकार्ड की गईं और अभिलेख धारण समय–तालिका के अनुसार 745 फाइलों की समीक्षा की गई और उन्हें नष्ट किया गया ।

शिकायत निवारण और सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस.

8.9 मंत्रालय में, संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में एक लोक शिकायत निवारण तंत्र है। उन्हें लोक शिकायत निदेशक के रूप में पदनामित किया गया है । प्राप्त लोक शिकायतों के तुरन्त समाधान के लिए उन्हें संबंधित प्रशासनिक इकाइयों को भेज दिया जाता है । एक वेब–आधारित शिकायत निवारण तंत्र अर्थात लोक शिकायत निवारण और मानीटरिंग प्रणाली (पीजीआरएएमएस) भी इस मंत्रालय में कार्य कर रही है । 31 दिसम्बर, 2015 तक कुल 13997 लोक शिकायतें प्राप्त हुई और उन सबको त्वरित निपटान के लिए संबंधित कार्यालयों/एजेंसियों को पहले ही भेज दिया गया है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएचएआईडीसीएल, आईएएचई, सड़क परिवहन विंग, और क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं । कुल 15694 (जिसमें पिछले लंबित मामले भी शामिल है) शिकायतों में से 31 दिसम्बर, 2015 तक 11225 का निपटान कर दिया गया है।

मंत्रालय में एक स्टाफ शिकायत निवारण तंत्र भी कार्य कर रहा है । शिकायत सुनने तथा शिकायत अर्जियां प्राप्त करने के लिए निदेशक, संबंधित प्रशासन अनुभाग के प्रभारी, उप सचिव (प्रशासन) को स्टाफ शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में शिकायतों की सुनवाई के लिए पदनामित किया गया है । इसके अतिरिक्त, संयुक्त सचिव (प्रशासन) भी लोक सुनवाई के लिए उपलब्ध रहते हैं ।

ई–ऑफिस :

8.10 मंत्रालय में ई–ऑफिस कार्य कर रहा है। इस प्रणाली की फाइल ट्रैकिंग, ई–डायरी, ज्ञान प्रबंधन, ई–अवकाश, आदि विशेषताओं का पूर्णतया उपयोग हो रहा है। कार्रवाई/निर्णय की प्रक्रिया पर ई–ऑफिस के माध्यम से निर्णय लेने के लिए इलैक्ट्रानिक रूप से पावतियों और फाइलों के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्रियान्वित की जा रही है जिसके लिए डिजिटल हस्ताक्षरों की व्यवस्था की जा रही है।

कागजातों के सुगमता से ढूंढने के लिए सड़क पक्ष, ओएंडएम, आरटीआई और पीएंडएम अनुभागों के कई परियोजना अंचलों से संबंधित फाइलों को बड़ी संख्या में स्कैन और डिजिटलीकृत किया गया है।

यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहां दायीं ओर साइड सड़क है। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात को मार्ग देगा। यह संकेत रास्ता दीजिए संकेत के साथ साइड सड़क पर लगाया जाता है।

This sign belongs to the family of Give Way signs. This particular sign indicates that there is side road on right. This sign is used in conjunction with a give way sign on the side road.

माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) द्वारा, विगत एक वर्ष में मंत्रालय की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए प्रगति वर्ष पुस्तिका, मई–2015 'सफलता और समृद्धि – क्षितिज की ओर अग्रसर' नामक शीर्षक से एक ई–बुक का विमोचन किया गया।

शिकायत एवं नागरिक चार्टर सेल

8.11 शिकायत मामलों के त्वरित और शीघ्र निपटान के लिए ओएंडएम अनुभाग के तौर पर शिकायत एवं नागरिक चार्टर सेल कार्य कर रहा है । मंत्रालय में शिकायत प्रकोष्ठ, प्रशासनिक और जन शिकायत सुधार विभाग, डीपीजी, राष्ट्रपति सचिवालय, पीएमओ द्वारा भेजी गई सभी शिकायतों और अन्य स्थानीय शिकायतों को निपटाए जाने से संबंधित है ।

(ख) वित्त

8.12 लेखा एवं बजट

8.12.1 सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रमुख हैं और वे मंत्रालय के लिए मुख्य लेखांकन प्रधिकारी हैं और वह अपने कार्यों का निर्वहन, विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (एसएस एंड एफए) और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के माध्यम से करते हैं । सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लेखा और बजट पक्ष, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के अधीन कार्य कर रहे हैं । प्रधान मुख्य नियंत्रक का कार्यालय, अन्य बातों के साथ–साथ, मंत्रालय के सभी प्राधिकृत भुगतान करने, मासिक और वार्षिक लेखों के समेकन, निर्धारित नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अधीन आने वाली सभी इकाइयों की आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है । प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय को बजट, केन्द्रीय लेन–देनों का विवरण, वित्तीय लेखों एवं विनियोजन लेखों को तैयार करने, वित्तीय और लेखांकन मामलों पर मंत्रालय को तकनीकी सलाह देने और रोकड़ प्रबंधन करने, लेखा महानियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करने का कार्य सौंपा गया है ।

8.12.2 प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, एक लेखा नियंत्रक, दो उप–लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक शामिल हैं । बजट अनुभाग में एक अवर सचिव (बजट) हैं । इस कार्यालय में मंत्रालय के लिए एक प्रधान लेखा अधिकारी, प्रशासन एवं स्थापना के लिए एक वरिष्ठ लेखा अधिकारी और उप–लेखा नियंत्रक/सहायक लेखा नियंत्रक की अध्यक्षता वाले आंतरिक लेखापरीक्षा पक्ष के लिए एक वरिष्ठ लेखाधिकारी हैं । मुख्य लेखा नियंत्रक के प्रशासनिक नियंत्रण में ग्यारह भुगतान एवं लेखा कार्यालय/क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय हैं जो नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, बंगलौर, जयपुर, लखनऊ और गुवाहाटी, भोपाल और हैदराबाद में स्थित हैं ।

8.12.3 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय और देश में फैले इसके कार्यालयों को सौंपी गई जिम्मेदारियों का विस्तारपूर्वक ब्यौरा इस प्रकार है:

यह सड़क चिन्ह आगे की सड़क की वास्तविक बनावाट की जानकारी देता है। यह सड़क दो हिस्सों में विभाजित होकर अंग्रेजी के 'वाई' (y) अक्षर के आकार का है। इससे ड्राइवर को तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में मदद मिलती है।

These road signs cautions about the actual formation of road ahead. The road is divided into two in the shape of y This helps driver in managing the intersection carefully.

भुगतान

- अनुमोदित बजट के अनुसार प्रस्तुत किए गए बिलों की पहले ही जांच करने के बाद मंत्रालय की ओर से भुगतान करना ।
- अधीनस्थ संबद्ध कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सोसाइटियों, एसोसिएशनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सरकारों को भुगतान करना ।
- मंत्रालय की ओर से व्यय करने के लिए अन्य मंत्रालयों को प्राधिकार प्रदान करना ।

प्राप्तियाँ

- मंत्रालय की प्राप्तियों को स्वीकार करना, बजट बनाना और लेखांकन करना ।
- राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से प्राप्त ऋण और उस पर ब्याज की वापसी की मॉनिटरिंग करना ।
- नई पेंशन योजना के अंतर्गत प्रापतियां और भुगतान ।

लेखे और रिपोर्ट प्रस्तुत करना

- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मासिक लेखे, केन्द्रीय लेन–देन का विवरण, वित्तीय लेखों का विवरण, शीर्ष–वार तथा चरण–वार विनियोजन लेखों को तैयार करना और उन्हें लेखा महानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग तथा महानिदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व को प्रस्तुत करना ।
- कार्य निष्पादन बजट सहित वार्षिक बजट तैयार करना और वित्त वर्ष के दौरान बजट प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय करना ।
- आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों की मॉनीटरिंग करना और इसे सीएजी कार्यालय को प्रस्तुत करना।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और वित्तीय प्रबंधन अधिनियम और नियमावली के अनुसार अनिवार्य सूचना की निगरानी करना और उसे प्रस्तुत करना ।
- विभिन्न प्राधिकरणों को प्रस्तुत करने के लिए लेखांकन, बजट और लेखा परीक्षा डाटा पर आधारित प्रबंधन सूचना रिपोर्टों को तैयार करना ।
- मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए आवतियों और व्यय के संबंध में मासिक आधार पर वित्तीय आंकड़े तैयार करना ।
- बजट आधारित मासिक व्यय/साप्ताहिक व्यय तैयार करना और विभिन्न प्राधिकारियों जैसे कि अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सचिव आदि को व्यय की मॉनीटरिंग के लिए प्रस्तुत करना ।
- मंत्रालय को भेजने के लिए वार्षिक रिपोर्ट हेतु सामग्री तैयार करना, लेखों पर एक नजर और व्यय के फ्लेश आंकड़े तैयार करना और उनको सीजीए को भेजना तथा अनंतिम लेखों को तैयार करना और उनको मंत्रालय को भेजना ।

यह चिन्ह दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अंग्रेजी के 'टी' अक्षर की तर्ज पर तिराहा (इंटरसेक्शन) है और वहां सीधा रास्ता नहीं जाता है। यातायात को बायीं या दायीं ओर मोड़ना होगा। इससे ड्राइवर को अपने रास्ते की योजना बनाने में मदद मिलती है।

This sign cautions about that there is T-intersection on the road ahead and there is no forward movement. Traffic has to either turn left or right. This helps driver in planning his movement on road.

विषम सड़क संगम
Staggered Intersection

- पीएओ/आरपीओ से प्राप्त एमआईएस के आधार पर मासिक डीओ तैयार करना और सीजीए को भेजना ।

8.13 बजट

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की निधियों के वार्षिक बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन तैयार करना और प्रस्तुत करना तथा धनराशि का पुनर्विनियोजन करना तथा बजट संबंधी सभी मामलों में वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों के साथ समन्वय करना ।
- वास्तविक व्यय को समाविष्ट करके वार्षिक अनुदान मांगों का पुनरीक्षण करना।
- सीएण्डएजी ऑफ इंडिया (सिविल एण्ड कॉमर्शियल) के सभी लेखा परीक्षा पैरा और टिप्पणियों की मॉनीटरिंग/निपटान करना और 'की गई कार्रवाई संबंधी नोट'/बचत संबंधी व्याख्यात्मक नोट के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ के साथ समन्वय करना तथा लोक लेखा समिति की रिपोर्टों के चयनित अनुदानों की समीक्षा और एटीएन नोट भी तैयार करना ।
- समीक्षा प्राप्तियों, ब्याज प्राप्तियों और लोक लेखों के वार्षिक प्राक्कलन तैयार करना।

8.14 आंतरिक लेखा परीक्षा

- मंत्रालय के सभी पक्षों के लेखों की आंतरिक लेखा परीक्षा/निरीक्षण करना और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण का कार्य करने वाले राज्य सरकारों के लोक निर्माण प्रभागों (राष्ट्रीय राजमार्ग) और मंत्रालय की इकाईयों के लेखाकरण की परीक्षण जांच करना ।
- लोक लेखा समिति और अन्य संसदीय समितियों के अधिकार–क्षेत्र में आने वाले सभी लेखापरीक्षा पैराओं और समुक्तियों की मॉनीटरिंग और निपटान ।
- मंत्रालय के सभी पक्षों में आंतरिक कार्य अध्ययन करना और वित्त मंत्रालय की 'स्टाफ निरीक्षण इकाई' के साथ समन्वय करना ।
- आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्य निष्पादन की वार्षिक समीक्षा तैयार करना ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान सीसीए संगठन में मंत्रालय के विभिन्न विभागों के कार्यकरण में सुसंगत अशुद्धियों/चूकों की पहचान करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई/सुधार के लिए प्रबंधन को सलाह देने के लिए एक प्रभावी यंत्र के रूप में आंतरिक लेखा परीक्षा विंग स्थापित की गई है । यह विंग दैनंदिन कार्यकलाप में विषयनिष्ठता और वित्तीय औचित्य और वित्तीय समझदारी में अति संवेदनशीलता लाने के लिए एक बड़े प्रबंधन यंत्र के रूप में सिद्ध हुआ है ।

आंतरिक लेखा परीक्षा विंग के अधिकारियों तथा अन्य अनुभागों में तैनात अधिकारियों को विगत में आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं । इस वर्ष जोखिम आधारित लेखा परीक्षा में तीन ए.ए.ओ. को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है ।

प्रधान सी.सी.ए. संगठन द्वारा विगत कुछ वर्षों के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र के प्रभावी उपयोग के परिणामस्वरूप सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लगभग सभी कार्यालयों में लेखा अनुरक्षण के संबंध

यह चिन्ह दर्शाता है कि सीधी सड़क पर बायीं/दायीं और दायीं/बायीं ओर मुड़ने के लिए मोड़ उपलब्ध हैं, जिनके बीच छोटी दूरी है। यह एक चौराहा (इंटरसेक्शन) है जहां सड़क एक दूसरे को नहीं काटती है।

These signs indicate that there is a left/right and right/left turn available on the straight road with small distance between them. It is an intersection which does not allow crossing of road.

में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है । प्रमुख अनियमितताओं/कमियों वाले लेखा परीक्षा के पैरा विभागाध्यक्ष के नोटिस में लाए जाते हैं और पैराओं के निपटान के लिए मामलों को उठाया जाता है तथा बकाया पैराओं के निपटान के लिए प्रधान सी.सी.ए. कार्यालय द्वारा समीक्षा बैठकों की भी व्यवस्था की जाती है। वर्ष के दौरान एन.एच. प्रभागों की 55 यूनिटों की लेखा परीक्षा की गई है।

8.15 लेखों का कंप्यूटरीकरण

8.15.1 इन कार्यों को करने के लिए अनेक नई पहलें की गई हैं जिनसे मंत्रालय की कार्यप्रणाली की समग्र कारगरता और दक्षता में बहुत अधिक सहायता मिली है । लेखों के संकलन में होने वाले विलंब को दूर करने और व्यय लेखों से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए इस समय कॉम्पेक्ट, कांटेक्ट, ई–लेखा आदि जैसे विभिन्न सॉफ्टवेअर पैकेजों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

8.15.2 कंप्यूटरीकृत लेखाकरण: व्यय लेखों के लिए यह एक व्यापक पैकेज है जिसमें प्री–चेक, जीपीएफ, बजट, पेंशन, संकलन और नई पेंशन योजना जैसे मुख्य लेखांकन कार्य सहित सभी मुख्य लेखांकन प्रकार्य शामिल हैं और इस सॅफ्टवेयर को सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालयों/क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालयों में सफलता पूर्वक लागू किया गया । इससे न केवल अति कुशल भुगतान प्रणाली तैयार होने और लेखा तैयार करने में समय पालन की स्थिति बनी है अपितु सम्पूर्ण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता भी आई है ।

8.15.3 कांन्टेक्ट: मासिक लेखों के संकलन के लिए इस सॉफ्टवेयर का प्रधान लेखा कार्यालय में उपयोग किया जा रहा है । प्रत्येक महीने, विभिन्न अनुदानों की प्राप्तियों और व्यय की विस्तृत समीक्षा तैयार की जाती है और सीजीए कार्यालय को भेजी जाती है और व्यय विवरण, मंत्रालय के अवर सचिव (बजट), अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार और सचिव को भेजा जाता है । इसमें व्यय का मुख्य–शीर्षवार, प्रयोजन शीर्षवार और स्कीमवार पैटर्न, विभिन्न गैर कर राजस्व मदों का शीर्ष वार प्राक्कलन और प्राप्तियां, पूर्व वर्ष के आंकड़ों के साथ तुलना और लंबित उपयोग प्रमाणपत्रों की स्थिति आदि शामिल होती है।

8.15.4 ई–लेखा : यह वेब आधारित एक कार्यक्रम है जिसके द्वारा व्यय लेखांकन सूचना का दैनिक/मासिक एमआईएस तैयार किया जाता है । सभी भुगतान एवं लेखा कार्यालयों/क्षेत्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालयों को वेब आधारित लेखा पोर्टल, ई–लेखा से पूर्णतः एकीकृत कर दिया गया है । उनको अपना दैनिक लेन–देन इस पोर्टल पर अपलोड करना होता है ताकि व्यय और प्राप्तियों की तारीख दैनिक आधार पर उपलब्ध रहे। इससे व्यय और प्राप्ति पर वास्तविक समयाधारित–डाटा उपलब्ध हो जाता है जो व्यय/प्राप्तियों की प्रभावी मॉनीटरिंग और बजटीय नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है । इस पोर्टल की प्रबंधन सूचना प्रणाली से सृजित रिपोर्टें, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय टूल हैं और इनका उपयोग, मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय परमिट शुल्क योजना

वर्ष 2010–11 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में वस्तुओं को लाने ले– जाने के लिए नयी राष्ट्रीय परमिट योजना को अपनाया और देश भर में लगभग 1200 आरटीओ, राज्य परिवहन प्राधिकरण से राष्ट्रीय परमिट शुल्क संग्रहीत करने और स्वीकृत फार्मूले के आधार पर प्रति माह इसे सभी राज्य/संघ राज्य सरकारों में आवंटित करने के लिए समन्वयन का उत्तरदायित्व लिया था।

मई, 2010 में शुरू की गई राष्ट्रीय परमिट शुल्क योजना के अनुसार ट्रान्सपोर्टर को प्रति वाहन 15,000 रुपए

प्रतिवर्ष के हिसाब से समेकित शुल्क देना होता है। यह शुल्क भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा संग्रहीत किया जा रहा है और केंद्रीय मोटर यान नियमावली (संशोधित), 2010 में निर्धारित फार्मूले के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित किया जा रहा है। इस योजना में केंद्रीय सरकार को कोई राशि उपाजित नहीं होगी।

इस संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के फलस्वरूप राष्ट्रीय नेटवर्क पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (समेकित राष्ट्रीय परमिट शुल्क के संग्रहण हेतु अधिकृत बैंकर) की शाखाओं के माध्यम से समेकित राष्ट्रीय परमिट शुल्क के ऑन लाईन संग्रहण की सूचना संबंधित प्राधिकरणों को दी जाती है और वेतन एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली) द्वारा इसका लेखांकन सुचारू रूप से किया जा रहा है। समेकित राष्ट्रीय परमिट शुल्क का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण **परिशिष्ट–9** पर दिया गया है।

(घ) पेंशन/परिवार पेंशन

18.5.6 पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय पेंशन लेखा कर्यालय (सीपीएओ) के साथ परामर्श करके 2006 से पहले सेवानिवृत्त हुए भारत सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेंशन को आन लाइन संशोधित करने की पहल की है । इसके पश्चात् सीपीएओ के दिशा निर्देश और लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के अनुवीक्षण के अंतर्गत सभी सिविल मंत्रालय, एनआईसी के साथ परामर्श करके सीपीएओ द्वारा तैयार किए गए वेब पोर्टल पर पेंशन भोगियों की पेंशन ऑन लाइन संशोधित कर रहे हैं ।

इस संशोधन कार्य के लिए प्रधान सीसीए कार्यालय इस मंत्रालय में नोडल कार्यालय है और देश के विभिन्न भागों में स्थित सभी वेतन और लेखा कार्यालय इन पेंशनभोगियों की पेंशन संशोधित कर रहे हैं । 1990 और 2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों के पेंशन संशोधन के लिए अपेक्षित 1073 मामलों में से अधिकतम मामलों को निपटा दिया गया है और संशोधित प्राधिकार जारी कर दिए गए हैं ।

केंद्रीय योजना निधि अनुवीक्षण पद्धति

8.16.1 वर्ष 2008–09 में माननीय वित्त मंत्री ने केंद्रीय योजना स्कीम प्रशासित करने के लिए उत्तरदायी विभिन्न स्कीम प्रबंधकों को व्यापक निर्णय सहायत और प्रबंधन सूचना प्रदान करने के लिए केंद्रीय योजना अनुवीक्षण पद्धति (सीपीएमएस) स्थापित किए जाने की घोषणा की थी । तभी से चयनित योजना और गैर–योजना स्कीमों के अंतर्गत लाभ भोगियों को प्रत्यक्ष भुगतान शामिल करने के लिए सीपीएफएमएस के कार्यक्षेत्र को बड़ा किया गया है । सीपीएफएमएस योजना आयोग की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना स्कीम हैं जिसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय सूचना केंद्र के साथ मिलकर लेखा महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा किया जा रहा है । इस स्कीम ने भारत सरकार की योजना स्कीमों के लिए साझा लेन–देन आधारित–ऑन लाइन विधि प्रबंधन और भुगतान पद्धति तथा एमआईएस स्थापित किया है । राज्यीय कोषागारों में प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त योजना निधियों के प्रभावी भुगतानों के लिए यह मंच अब राज्य सरकारों को प्रदान किया गया है।

8.16.2 सीपीएफएमएस के उद्देश्य

- सक्षम निधि प्रबंधन पद्धति स्थापित करना
- प्रभावी व्यय सूचना नेटवर्क स्थापित करना
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में सुधार
- सार्वजनिक प्रकटीकरण

कार्यान्वयन कार्यनीति

8.16.3 इस स्कीम का कार्यान्वयन लेखा महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा विकसित और लगाई गई वेब आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा रहा है । जिससे कम्पैक्ट और ई–लेखा तथा बैंकिंग प्रणाली द्वारा विकसित इंटरफेस जैसी सुस्थापित लेखा और वित्तीय रिपोर्टिंग एप्लीकेशन का लाभ प्राप्त हुआ है । सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षित है कि वे बैंक लेखा ब्यौरे के साथ पीएफएमएसपर भारत सरकार से प्राप्त अनुदान प्राप्त करने वाली एजेंसियों/वैयक्तिक लाभभोगियों का ब्यौरा दर्ज करें । सेंक्शन आईडी पोर्टलैंड पर सृजित की जाती है, संस्वीकृति आदेश तैयार किए जाते हैं, आहरण और वितरण अधिकारी बिल संख्या डालते हैं और आदाता एजेंसी सेंक्शन आईडी के संबंध में भुगतान ब्यौरा दर्ज करता है । भुगतान ब्यौरा एक वास्तविक सेंक्शन आईडी विधि केंद्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों में पूरी तरह से सक्रिय है जिससे भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निधि प्राप्तकर्ताओं सभी कार्यान्वयन एजेंसियों और वैयक्तिक लाभ भोगियों का व्यापक ब्यौरा सृजित हो जाता है । पीएफएमएस 90 बैंकों (26 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 59 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 5 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) के कोर बैंकिग समाधान (सीबीएस) के साथ सुरक्षित समाकलन के माध्यम से निधि प्रबंधन और ई–भुगतान में सहायता करता है । सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में पहली बार पीएफएमएसलेन देन आधारित, सुदृढ़, विश्वसनीय और पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन सूचना पद्धति (एफएमआईएस) के सृजन को प्रोत्साहित करता है । अन्य एमआईएस एप्लीकेशनों से भिन्न, जहां वित्तीय एमआईएस कार्योत्तर डाटा फीडिंग पर निर्भर करता है, पीएफएमएस में निधि उपयोग डाटा का कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किए गए बैंकिंग लेन देनों के साथ परस्पर सह संबंध है । अतः सिस्टम से उपलब्ध, एफएमआईएस, वास्तविक समय आधार पर वित्तीय लेन देनों संबंधी बैंक समाधित डाटा होता है ।

उपलब्धियां

8.16.4 केंद्रीय सरकारी योजना निधियों की सभी प्रथम स्तर की प्राप्तकर्ता एजेंसिया, उनके बैंक लेखा ब्यौरे सहित सिस्टम में दर्ज हैं । फलस्वरूप भू–भागीय वितरण के अनुरूप स्कीमवार, एजेंसीवार, क्षेत्रवार निधियों की रिपोर्टें वास्तविक समय आधार पर उपलब्ध होती है । लगभग 9,70,000 से अधिक कार्यान्वयन एजेंसियॉं पीएफएमएस पोर्टल पर पहले ही दर्ज हैं । ये एजेंसियां पीएफएमएस एप्लीकेशन का इस्तेमाल उन लेनदेनों के लिए उन लाभभोगियों को निधि अंतरित और ई–भुगतान, करने के लिए कर रही हैं जिनके बैंक–शाखाओं अथवा डाकघरों में खाते हैं । पीएफएमएस केंद्र सरकार स्तर पर पूरी तरह कार्यान्वित की गई है और सिविल मंत्रालयों/केंद्रीय सरकार के विभागों से जारी योजना स्कीम,एक अद्वितयी सैंक्शन आईडी के साथ पीएफएमएस के माध्यम से आवश्यक रूप से भेजी जाती है । पीएफएमएस के प्रधान प्रयोक्ताओं में शामिल हैं– योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, सभी केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, कार्यक्रम प्रबंधक, बैंक और गैर–सरकारी

संगठन जो केंद्र सरकार से निर्णय प्राप्त करते हैं । पीएफएमएस के माध्यम से ई–भुगतान ।

8.17 सी एंड एजी के पीएसी पैरा/रिपोर्ट और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संबंध में की गई कार्रवाई का नोटः वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, स्थायी लेखा परीक्षा द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के संदर्भ में सचिव (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) की अध्यक्षता में स्थायी लेखा परीक्षण समिति (एसएएजी), भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की मुद्रित रिपोर्टों के अनुरूप लेखा परीक्षा रिपोर्टों/पैराओं और लोक लेखा समिति (पीएसी) की रिपोर्टों/पैराओं (सिविल) के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों के प्रस्तुतीकरण की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करती है। स्थायी लेखा परीक्षण समिति सार्वजनिक उपक्रम समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाली वाणिज्यिक श्रेणी के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की मुद्रित रिपोर्टों के अनुसार लेखा परीक्षा पैराओं की समीक्षा और निगरानी भी करती है। इसके अलावा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार स्थायी लेखा समिति की बैठकें संयुक्त सचिव/अपर सचिव स्तर पर भी आयोजित की जा सकती है और लेखा परीक्षण निरीक्षण पैराओं के उत्तर देने के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए तदर्थ समिति की भी व्यवस्था है।

1.4.2015 से 31.12.2015 तक लोक लेखा समिति की 9वीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) के मंत्रालय से संबंधित पैराओं पर की गई कार्रवाई संबंधी अंतिम टिप्पणी लोक सभा सचिवालय को को भेजी गई थी (सरकार द्वारा लोक लेखा समिति (15वीं लोकसभा) की 64वीं रिपोर्ट पर लोकसभा में प्रस्तुत की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां–स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोजनों से अतिरेक (2010–10))। निम्नलिखित लेखा परीक्षा पैराओं (वाणिज्यिक) पर की कार्रवाई संबंधी अंतिम टिप्पणियॉ भी लोकसभा सचिवालय (सीओपीयू शाखा) को भेजी गई थीं :

- पैरा 18.1.1, रिपोर्ट संख्या सीए–11–2008– कार्य की अतिरिक्त मदों के लिए उच्च दरों पर किये गये भुगतान के कारण हानि।
- पैरा 3.3.1 (टाडा नेल्लोर) रिपोर्ट संख्या पीए–16–2008– एनएचएआई (एनएचडीपी चरण–।) द्वारा ली गई पीपीपी परियोजना पर निष्पादन लेखा परीक्षा।
- पैरा 17.1.1, रिपोर्ट संख्या– 9, 2009–10– अनुपयुक्त स्थान पर टोल प्लाजा स्थापित करने के कारण हुई राजस्व की हानि।
- पैरा 15.1, रिपोर्ट संख्या 3, 2011– प्रयोक्ता शुल्क की दरों का क्रियान्वयन न किये जाने के कारण हुई 42.56 करोड़ रुपए की राजस्व हानि।
- पैरा 13.2, रिपोर्ट संख्या सीए 8, 2012–13–रियायतग्राही से दंड की वसूली ना करना।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभिन्न मामलों पर लेखा परीक्षा के मसौदा लेखा परीक्षा पैराओं और निरीक्षण रिपोर्टों/पैराओं के बारे में मंत्रालय की ओर से शीघ्र उत्तर भेजने और लेखा परीक्षा के साथ निरीक्षण पैरा/डीएपी के निपटान के लिए अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की अध्यक्षता में तदर्थ समिति की समय–समय पर बैठकें भी आयोजित की गईं ।

यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क घाट या नदी के किनारे की ओर जा रही है। चालक को सावधान हो जाना चाहिए और सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए।
This sign indicates that this road leads on to quay or river bank. Drivers should take care and drive cautiously.

8.18 अनुदान सं–83 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

वर्ष 2015–16 के लिए वास्तविक व्यय (31 दिसम्बर, 2015 तक) **परिशिष्ट–10** में दर्शाया गया है। विगत तीन वर्षों के लिए केंद्रीय लेन–देन विवरण के अनुसार प्राप्तियों का शीर्ष–वार ब्यौरा **परिशिष्ट–11** में दर्शाया गया है और तीन वर्षों के लिए व्यय की प्राप्तियों का ब्यौरा **परिशिष्ट–12** में दर्शाया गया है। लेखाओं की प्रमुख विशिष्टताएं, **परिशिष्ट–13** में दी गई हैं ।

(घ) सतर्कता

8.19 मंत्रालय का सर्तकता एकक, मंत्रालय के सतर्कता संबंधी कार्यों के समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। एक के प्रधान, मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं । संयुक्त सचिव (ईआईसी) भी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मंत्रालय के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन स्वायतशासी निकाय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) में अपना पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं ।

वर्ष के दौरान, सतर्कता से संबंधित शिकायतों से निपटने के साथ–साथ (जहां कहीं आवश्यक हो केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्शन में) निवारक सतर्कता पर विशेष बल दिया गया। ऑटो ईंधनों की खुदरा दुकानों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदनों पर कार्यवाही करने के लिए अनुदेशों और प्रक्रियाओं को समुचित ढंग से लागू करने और "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर निजी सम्पतियों का उपयोग करने, अनापत्ति प्रमाण–पत्र के मामलों पर 30 दिन की समय सीमा में कार्यवाही करने और "पहले आओ पहले पाओ" आधार पर सीधे निपटान और भुगतान करने पर बल दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों पर खुदरा दुकानों, निजी संपत्तियों आदि के लिए अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्रों की आनलाइन ट्रेकिंग आरंभ की गई है।

मंत्रालय में 26 से 31 अक्टूबर, 2015 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सड़क परिवहन, राजमार्ग और पोत परिवहन मंत्रालय के स्टाफ को सचिव (पोत परिवहन) द्वारा संयुक्त रूप से शपथ दिलाई गई। सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान 'हाउ टू फाईट विद् ऑनलाइन टूल्स' (अंग्रेजी में) और 'आम जनता और सरकारी कर्मचारियों के लिए निवारक सतर्कता के लाभ' (हिंदी में) विषय पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।

(ड.) सूचना का अधिकार अधिनियम–कार्यान्वयन

8.20 सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य हैं–सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रणाधीन प्रत्येक सरकारी अधिकारी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और नागरिकों तक सूचना की पहुंच बनाने के लिए एक व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करना। सार्वजनिक प्राधिकरण की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्यीय सूचना आयोग (एसआईसी) की स्थापना के अनुसार इस मंत्रालय में नोडल अधिकारी, आरटीआई अनुभाग, पीआईओ, अपीलीय अधिकारी पूर्णतया क्रियाशील हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के भाग 4(1) (ख) में ध्यान रखा गया है कि संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों के द्वारा जनता को स्वतः संज्ञान सूचना दी जाए। इस मंत्रालय के विभिन्न मामलों से संबंधित सूचना विविध शीर्षकों के अंतर्गत इस मंत्रालय की वेबसाईट पर दी गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार निर्धारित फीस के साथ आरटीआई आवेदन प्राप्त करने के लिए परिवहन भवन के भूतल पर एक काऊंटर खोला गया है।

यह चिन्ह उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है, जिसे चिन्ह के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या संकरा रास्ता हो सकता है।

This sign indicates the width of the vehicle, which is allowed to enter the zone beyond it. The vehicle with width above 2 meters is restricted to enter this zone. This could be a bridge or a narrow lane.

अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह
Advance Direction Sign

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों की ओर से सूचना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरू किया गया वेब पोर्टल इस मंत्रालय में 03.06.2013 से क्रियाशील है ऑनलाइन प्रणाली में स्कैनिंग करने और आगे की कार्यवाही के लिए भिन्न–भिन्न जन सूचना अधिकारियों को भौतिक रूप में ऑनलाइन आवेदन भेजने और उत्तर प्रेषित करने की सुविधा भी शामिल है। समय–सीमा और छूट की शर्तों सहित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवेदक/जनता को सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। दो संगठनों संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक स्वायतशासी निकाय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सोसायटी भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) (जिसे पहले निधि कहा जाता था) ने भी सूचना का अधिकार अधिनियम के निर्देशोंनुसार जनता/आवेदकों को सूचना देने के लिए अलग–अलग पीआईओ/एपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए हैं। मंत्रालय में मोटरयान अधिनियम, सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्गों, फ्लाईओवरों, पुलों, टोल प्लाजा, प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण, पेट्रोल पंपों की स्थापना, निविदाओं इत्यादि जैसे विभिन्न विषयों से संबंधित आरटीआई आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। संबंधित जन सूचना अधिकारियों द्वारा आवेदकों को समय पर उचित उत्तर देने के लिए समस्त प्रयास किए जाते हैं। 30 नवम्बर, 2015 तक 5171 आरटीआई आवेदन प्राप्त हो चुके हैं जिनमें भौतिक रूप में तथा ऑनलाइन दोनों प्रकार के आवेदन शामिल हैं और इनमें से यदि कोई एक से अधिक जन सूचना अधिकारियों से जानकारी लेने की मंशा से हों तो उन्हें सिस्टम के द्वारा सृजित अलग पंजीकरण संख्याओं के तहत अग्रेषित किया गया। इसी प्रकार 30 नवम्बर, 2015 तक कुल 444 अपीलें प्राप्त हुई जिन्हें संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारियों के अग्रेषित किया गया। इस प्रणाली में संबंधित जन सूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों को उनके ई–मेल के माध्यम से सिस्टम द्वारा सृजित अनुस्मारक/चेतावनी देने की सुविधा भी है। ऑनलाइन सिस्टम में उपलब्ध सुविधा का प्रयोग करते हुए समय–समय पर आरटीआई आवेदनों/अपीलों के निपटान की मॉनीटरिंग भी की गई।

राष्ट्रीय राजमार्ग का अग्रिम दृश्य

यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्यों (स्थानों) की दिशा को इंगित करता है। आम तौर पर चौराहे (इंटरसेक्शन) से पहले ये चिन्ह लगाए जाते हैं।

This sign indicates the direction to various destinations falling on that particular road. These signs are generally installed before intersections.

यह अग्रिम संकेत इंटरसेक्शन से पूर्व स्थापित किया जाता है जो तीर के चिन्हों से गंतव्य के मार्ग को दर्शाता है जिससे चालक को सही मार्ग के चयन में सहायता मिलती है।

This advance sign is erected before an intersection indicating the way to destination by arrows, facilitating the driver to ensure that he is on correct route.

अग्रिम मार्गदर्शक गंतव्य चिन्ह (दूरी सहित)
Advance Direction Sign (With Distances)

अध्याय–IX

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

कार्यान्वयन व्यवस्था

9.1 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग में इस समय एक उप–निदेशक (राजभाषा) और अन्य सहायक कर्मचारी हैं । राजभाषा नीति और वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के अतिरिक्त हिन्दी अनुभाग, मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/प्रभागों से प्राप्त सामग्री का अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद करता है ।

राजगाषा कार्यान्वयन समिति

9.2 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव (परिवहन) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है । राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें 19 जून, 2015, 30 सितम्बर, 2015 और 11 दिसम्बर, 2015 को हुईं । सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में मंत्रालय के अनुभागों/प्रभागों और इसके अधीन आने वाले कार्यालयों से प्राप्त तिमाही हिन्दी प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा इन बैठकों में की गई और सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढाने के उपाय सुझाए गए ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3 (3) का अनुपालन और हिन्दी में पत्राचार

9.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3 (3) के प्रावधानों के अनुपालन में इस धारा के अधीन आने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं ।

9.4 हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों अर्थात् हिन्दी में लिखे अथवा हिन्दी में हस्ताक्षरित सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिए गए चाहे वे किसी भी क्षेत्र से आए हों ।

9.5 'क' और 'ख' क्षेत्रों में केन्द्र सरकार राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के कार्यालयों और आम जनता के साथ हिन्दी में पत्राचार बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए किए गए विशिष्ट उपाय

हिन्दी भाषा/हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण

9.6 कुल 5 टंकणों (लिपिकों) में से 1 लिपिक हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित हैं और कुल 18 आशुलिपिकों में से 6 आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं ।

नकद पुरस्कार और प्रोत्साहन योजना

9.7 मंत्रालय में, अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना में हिन्दी में टिप्पण और आलेखन करने वालों को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं

यह चिन्ह उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्यों (स्थानों) की दिशा और उनकी दूरी को इंगित करता है। आम तौर पर चौराहे (इंटरसेक्शन) से पहले ये चिन्ह लगाए जाते हैं।

This sign indicates the direction and distance to various destinations falling on that particular road. These signs are generally installed before intersections.

हिन्दी दिवस और हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

9.8 हिन्दी दिवस के अवसर पर 14 सितंबर, 2015 को सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए माननीय गृह मंत्री द्वारा जारी की गई अपील, मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवलोकनार्थ परिचालित की गई। 01 सितंबर, 2015 से 15 सितंबर, 2015 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया । इस दौरान हिन्दी निबंध प्रतियोगिता, विभागीय ज्ञान प्रतियोगिता, हिन्दी टिप्पण–आलेखन प्रतियोगिता, सामान्य पत्र लेखन प्रतियोगिता, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता, हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता, आशु भाषण प्रतियोगिता और हिंदी सुलेख जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं । इनमें से कुछ प्रतियोगिताएं मंत्रालय के हिन्दी भाषी और हिन्दी इतर भाषी कार्मिकों के लिए अलग–अलग आयोजित की गईं । मंत्रालय में दिनांक 14.09.2015 और 15.09.2015 को दो कार्यशालाएं क्रमशः 'सरकारी कामकाज हिंदी में कैसे करें' और 'कंप्यूटर पर हिन्दी में काम कैसे करें' भी आयोजित की गईं । संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 30 सितंबर, 2015 को मंत्रालय में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए । इस वर्ष हिन्दी पखवाड़े के दौरान कुल मिलाकर 183 अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया ।

सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

9.10 मंत्रालय में संपूर्ण हिन्दी टंकण कार्य कंप्यूटरों पर किया जाता है । कार्य को दक्षता और तीव्रता से करने के लिए कंप्यूटरों में हिन्दी के नवीनतम सॉफ्टवेयर लगाए गए हैं ।

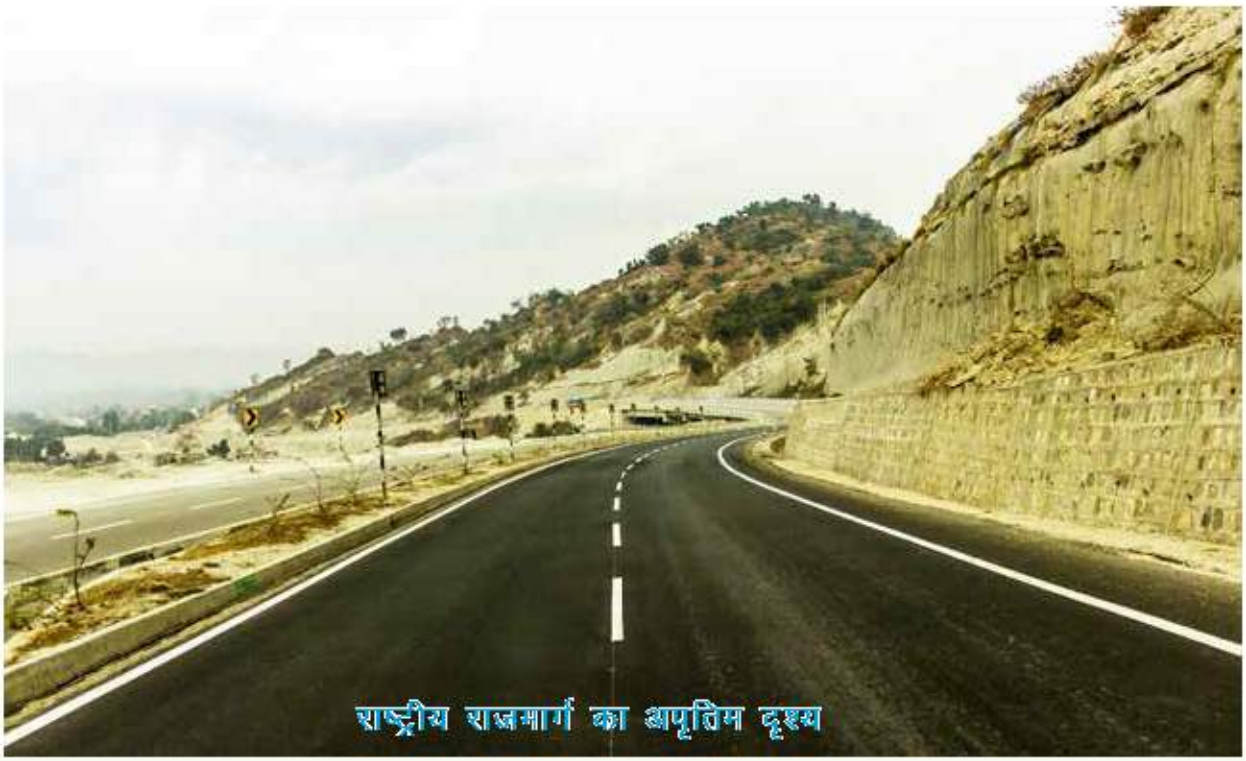
राष्ट्रीय राजमार्ग का अपूर्तिम दृश्य

यह चिन्ह इस पर लिखे गए गंतव्य/स्थान की दिशा और दूरी दर्शाता है। यह चिन्ह बोर्ड ड्राइवरों द्वारा स्थान को ढूंढने में सहायक होता है। इसलिए, यह उनके समय और ईंधन खपत में बचत करने में बहुत सहायक होता है।

This sign shows direction and distance of the destination/place written on it. This sign board helps drivers in locating the places and thus is very helpful in saving time and fuel.

अध्याय–X

अशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन

10.1 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय,अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है । चुने गए/नामित अशक्त व्यक्तियों को उनके लिए आरक्षित रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है और उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के वर्तमान निर्देशों के अनुसार अनारक्षित रिक्त पदों पर भी समायोजित किया जाता है । अशक्त व्यक्तियों की संख्या के संबंध में तकनीकी और गैर–तकनीकी पदों के संबंध में 31 दिसंबर, 2015 के अनुसार स्थिति **परिशिष्ट–14** में दी गई है ।

सड़क सुरक्षा फोर्म – 2016

यह चिन्ह ड्राइवर को आश्वस्त करता है कि वह सही रास्ते पर है और यह उस पर लिखे गए स्थानों की दूरी भी दर्शाता है।
This sign assures the driver that he is on right path and also tells the distance of the places written on it.

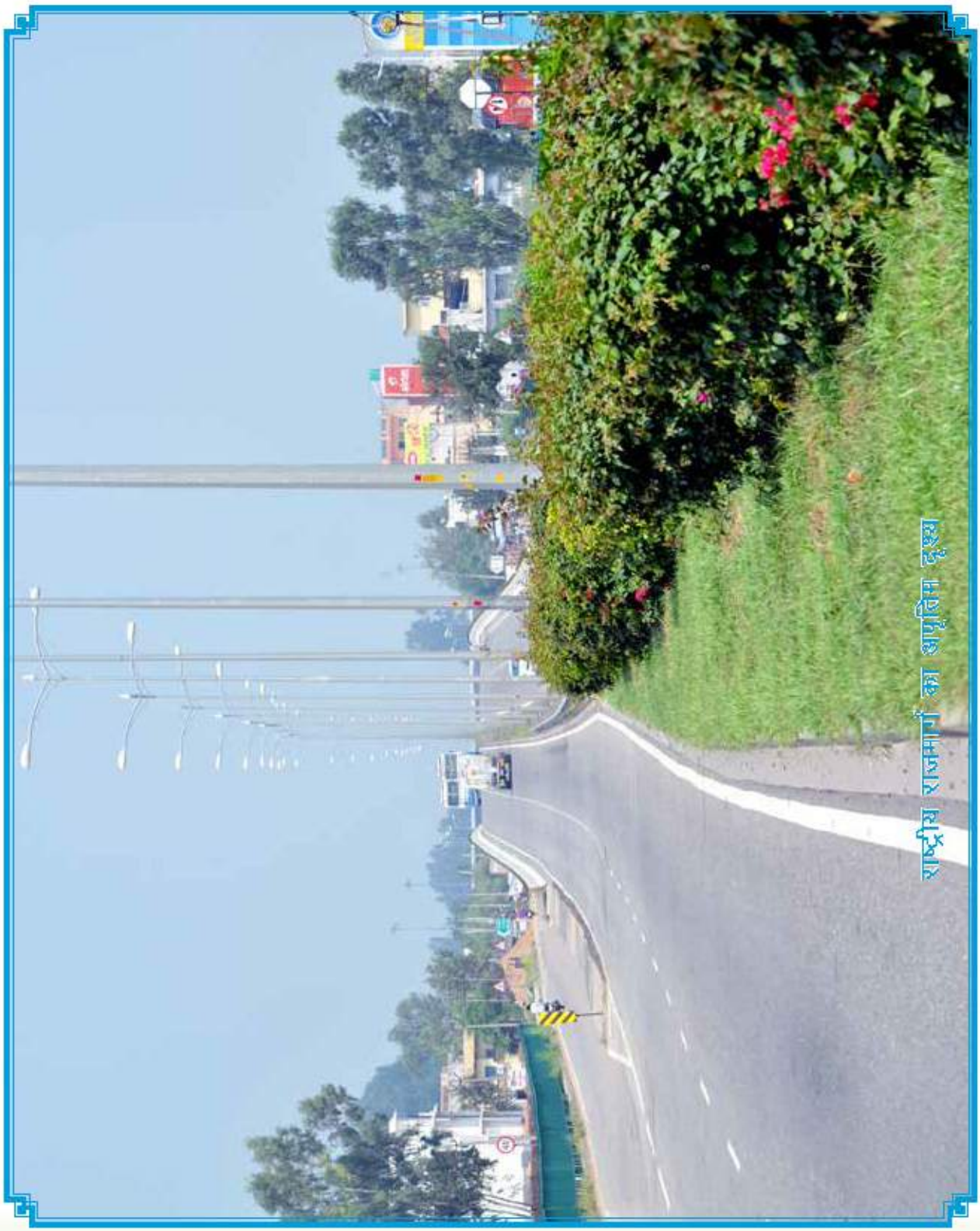

यह चिन्ह क्षेत्र की पहचान दर्शाता है। यह चिन्ह बताता है कि उस क्षेत्र की सीमा शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चित्रात्मक रूप में यह चिन्ह लगाया जाता है।

This sign identifies the area. This sign tells that the limit of the particular area has started. This sign is illustrative on national highways.

अध्याय–XI

परिवहन अनुसंधान

11.1 परिवहन अनुसंधान पक्ष एक नोडल एजेंसी है जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों विभागों को अनुसंधान सूचना, विश्लेषण, तकनीकी टिप्पणियां और डाटा संबंधी सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह नीति नियोजन, समन्वयन और सड़क परिवहन क्षेत्र के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन में सहायता प्रदान करता है।

11.2 परिवहन अनुसंधान पक्ष सड़कों, सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा से संबंधित डाटा का संग्रहण, संकलन, विश्लेषण और प्रसार करता है जिसमें केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की एजेंसियों जैसे विभिन्न स्रोतों से आंकड़े अनिवार्यतः एकत्रित करना शामिल है। इन स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों की छटनी की जाती है, संगतता तथा विश्वसनीयता की दृष्टि से उन्हें मान्यता दी जाती है और तत्पश्चात् परिवहन क्षेत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करते हुए चार वार्षिक प्रकाशनों में समेकित और विश्लेषित किया जाता है। यह प्रकाशन हैं 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं', 'सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका', 'भारत की मूल सड़क सांख्यिकी' और 'राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा। इन चार प्रकाशनों में प्रकाशित सूचना डाटा पोर्टल इंडिया के माध्यम से भी प्रसारित की जाती है। परिवहन अनुसंधान पक्ष उपरोक्त चार वार्षिक प्रकाशनों के माध्यम से डेटा प्रसारित करने में डेटा अंतराल और कमियों को दूर करने के उपाय करके सड़क, सड़क परिवहन और सड़क सुरक्षा के डेटाबेस को मजबूत बनाने का निरंतर प्रयास कर रहा है।

11.3 विशेष रूप से तैयार किए गए 19 मद वाले एशिया पेसिफिक सड़क दुर्घटना डेटाबेस/भारतीय सड़क दुर्घटना डेटाबेस (एपीआरएडी/आईआरएडी) फार्मेट में देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों और 50 मिलियन प्लस शहरों के सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आंकड़े एकत्रित और संकलित किए जाते हैं और उनका मिलान किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसंधान विंग द्वारा, 19 मद वाले फार्मेट में एकत्र किए गए डेटा के आधार पर भारत में हुई सड़क दुर्घटनाओं की विस्तार से समीक्षा और विश्लेषण किया जाता है। 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं: 2014' का नवीनतम अंक अगस्त, 2015 में निकाला गया। परिवहन अनुसंधान विंग मंत्रालय के परिवहन विंग के परामर्शन से इस क्षेत्र में नवीनतम परिवर्तन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने हेतु सड़क दुर्घटना डेटा फार्मेट में संशोधन/सुधार करने की प्रक्रिया में है।

11.4 परिवहन अनुसंधान पक्ष ब्लैक स्पाटों के संबंध में डाटा संकलन, ब्लैक स्पाटों में सड़क दुर्घटना घातकताओं में कमी लाने के संबंध में किए गए सुधारात्मक उपायों की प्रगति का आकलन और निगरानी करने में सक्रिय रूप से शामिल है । ब्लेक स्पोट असमान्य रूप से बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाओं वाले स्थान होते हैं। लगभग 85: सड़क दुर्घटनाओं वाले 13 राज्यों से अपने राज्यों में सर्वाधिक 25 ब्लेक स्पोट अभिज्ञात करने और उनका ब्यौरा देने का अनुरोध किया गया । ये राज्य हैं (i) आंध्र प्रदेश (ii) बिहार (iii) छत्तीसगढ (iv) गुजरात (v) हरियाणा (vi) कर्नाटक (vii) केरल (viii) मध्य प्रदेश (ix) महाराष्ट्र (x) राजस्थान (xi) तमिलनाडु (xii) उत्तर प्रदेश (xiii) पश्चिम बंगाल ।

11.5 "सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका' प्रकाशन में विभिन्न वाहन परिवहन मानकों की जानकारी दी गई है।" सड़क परिवहन वार्षिक पुस्तिका 2012–13" के प्रकाशन का नवीनतम अंक नवम्बर, 2015 में निकाला गया है। प्रकाशन का आगामी अंक संकलन के स्तर पर है।

यह सूचनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि आगे एक पेट्रोल पम्प है। कई बार इस चिन्ह पर दूरी भी इंगित की जाती है, जो दर्शाता है कि चिन्ह बोर्ड से पेट्रोल पम्प कितनी दूरी पर है।

This informatory sign indicates that there is a Petrol Pump ahead. Sometimes distance is also indicated on this sign which gives an idea about location of the Petrol Pump from the sign post.

11.6 "बेसिक रोड़ स्टेटिस्टिक्स (बीआरएस) ऑफ इण्डिया" नामक प्रकाशन में राष्ट्रीय राजमार्गों, रज्यीय राजमार्गों, शहरी सड़कों, ग्रामीण सड़कों और परियोजना सड़कों सहित सड़क नेटवर्क से संबंधित विस्तृत सूचना दी गई है। केंद्र, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और स्थानीय निकायों में फैली लगभग 280 स्रोतों एजेंसियों से आंकड़े संग्रहीत किए गए हैं। 'बीआरएस 2012–13' का नवीनतम संस्करण अगस्त, 2015 में निकाला गया था। इस प्रकाशन का आगामी संस्करण संकलाधीन है।

11.7 'रिव्यू ऑफ द् पर्फार्मेंस ऑफ स्टेट रोड़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स' नामक प्रकाशन में राज्यीय सड़क परिवहन संस्थानों के निजी रूप से वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन का उल्लेख है। इसमें, पहचाने गए विभिन्न मानदंडों की दृष्टि से राज्यीय सड़क परिवहन संस्थानों के वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादन का उल्लेख है। मौजूदा 54 राज्यीय सड़क परिवहन संस्थानों में से 44 सड़क परिवहन संस्थानों ने वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए अपेक्षित प्रपत्र में अपने आंकडे दिए हैं। 'राज्यीय सड़क परिवहन संस्थानों के कार्य निष्पादन की समीक्षा–यात्री सेवाएं (अप्रैल 2013–मार्च 2014)' का नवीनतम अंक मई, 2015 में निकाला गया था। 'राज्यीय सड़क परिवहन संस्थानों के कार्य निष्पादन की समीक्षा' का अगला अंक, जिसमें 31 मार्च, 2015 तक की सूचना शामिल है, तैयार किया जा रहा है।

11.8 परिवहन अनुसंधान पक्ष द्वारा संकलित और प्रकाशित डेटा से प्रमाण के तौर पर भारत में सड़क और परिवहन क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं नीचे दर्शायी गई हैं:–

- 31 मार्च, 2013 की स्थिति के अनुसार भारत में 1,82,445 हजार पंजीकृत मोटर वाहन थे। **परिशिष्ट–15**
- वर्ष, 2013 में 4,86,476 की तुलना में वर्ष 2014 में 4,89,400 से सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या में थोड़ी वृद्धि हुई है **परिशिष्ट–16** । वर्ष 2013 में मरने वाले 1,37,572 से वर्ष 2014 में मरने वाले 1,39,671 लोगों की संख्या में भी 1.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तथापि, सड़क दुर्घटनाओं में चोटिल होने वाले लोगों की संख्या वर्ष 2013 में 4,94,893 से वर्ष 2014 में 4,93,474 थोड़ा कम हुई है। वर्ष 2014 के सड़क दुर्घटना संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ है कि भारत में प्रत्येक घंटे में औसतन 56 दुर्घटनाएं होती हैं और 16 जीवन समाप्त हो जाते हैं।
- बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं की संख्या, घायलों की संख्या और मौतों के लिए, जनसंख्या प्रवाह, शहरीकरण और बढ़े हुए सड़क नेटवर्क सहित बढ़ती वाहन संख्या उत्तरदायी है।
- सड़क दुर्घटना पीड़ितों का बहुत बड़ा प्रतिशत 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के लोग हैं। वर्ष 2014 के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले सभी लोगों में से 53.8 प्रतिशत लोग इसी आयु वर्ग के थे।
- 2014 में देश में हुई कुल सड़क दुर्घटनाओं में से 22.7 प्रतिशत, सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए कुल व्यक्तियों में से 11.9 प्रतिशत और सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए कुल व्यक्तियों में से 16.8 प्रतिशत व्यक्ति 50 मिलियन प्लस शहरों के हैं। सड़क दुर्घटनाओं की सर्वाधिक संख्या (22,570) मुंबई में रही जबकि सड़क दुर्घटनाओं के कारण मरने वालों की सर्वाधिक संख्या (1671) दिल्ली में थी।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, 2014 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के लिए उत्तरदायी कारणों में से एकमात्र सबसे बड़ा कारण ड्राइवर की गलती (78.8 प्रतिशत) है। 'ड्राइवर की

यह चिन्ह इंगित करता है कि आसपास अस्पताल है। इस रास्ते पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को सतर्क रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से हॉर्न नहीं बजाना चाहिए।

This sign indicates that there is Hospital nearby. The driver should be careful while driving through this stretch and should not honk unnecessarily.